इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2016—ज्येष्ठ 27, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2016

क्र. एफ ए-3-24-2016-एक (1).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2016 के पैरा-2 के स्थान पर निम्नानुसार पैरा स्थापित किया जाता है:—

2. "पूर्व मुख्यमंत्री, यदि केन्द्र अथवा राज्य में मंत्री पद धारित करते हैं, तो उक्त अवधि के लिए उन्हें वेतन एवं भत्ते की पात्रता नहीं होगी, किन्तु अन्य सुविधाओं हेतु पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से पात्र होंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2016

क्र. एफ-12-44-2015-बी-1-दो.—यत:, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि राज्य के उन परिलक्षित क्षेत्रों में जहां कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावनाएं अधिक हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के अपराधों का निवारण किया जाए;

अतएव, इन क्षेत्रों में अत्याचारों का निवारण करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट ग्रामों, वार्डों नगरों के क्षेत्रों के लिये उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिये चिन्हित क्षेत्र अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)	पुलिस थाना (3)	ग्राम, वार्ड/नगर (4)
1	देवास	पीपलरांवा	मेहरखेड़ी मुण्डला
		बागली	बागली
		कन्नौद	बावड़ीखेड़ा
		कन्नौद	पिपलानी
		सतवास	जिनवानी
2	श्योपुर	कराहल	कराहल
3	रायसेन	औबेदुल्लागंज	अर्जुन नगर (वार्ड 12)
4	बैतूल	बैतूल कोतवाली	हमलापुर
		बैतूल कोतवाली	सदर
		बैतूल कोतवाली	गंज
		बैतूल कोतवाली	टिकारी
		सारनी	पाथाखेड़ा
5	विदिशा	कोतवाली	मोहनगिरी (वार्ड 3 एवं 5)
		कोतवाली	लोहांग मोहल्ला (वार्ड 21 एवं 22)
6	शिवपुरी	कोतवाली	लालमाटी फतेहपुर (वार्ड 13)
7	मुरैना	स्टेशन	तुस्सीपुरा (वार्ड 12)
		स्टेशन	सुभाष नगर (वार्ड 14)
		कोतवाली	गोपालपुरा (वार्ड 45)
		अम्बाह	पूठा वडफरा
8	हरदा	सिराली	मकड़ाई रोड
9	ग्वालियर	हजीरा	हजीरा चौराहा

F.12-44-2015-B1-Two,—WHEREAS, the State Govemment considers it necessary to prevent the commision of offences of atrocities against the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in such identified areas of the State where there are much possibilities of atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribe members;

Now, THEREFORE with a view to prevent atrocities in these area and to ensure protection and safety of members of Scheduled Caste and Scheduled Tribes under the law made by the Central Govemment and in order to ensure effective implementation of provisions of clause (vii) of sub-section (2) of Section 21 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Govemment hereby, notify the Police Stations Specified in column (3) for the area of village, ward/town specified in column (4) for the District specified in column (2) of the Scheduled given below as identified area for the above mentioned purpose under the said Act and rules made there under, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	District (2)	Policee Station (3)	Village, Ward/Town (4)
1	Dewas	Peepalrawa	Meharkhedi Mundla
		Bagli	Bagli
		Kannod	Bawrikhedi
		Kannod	Piplani
		Satwas	Jinwani
2	Sheopur	Karahal	Karahal
3	Raisen	Obaidullaganj	Arjun Nagar (Ward No. 12)
4	Betul	Betul Kotwali	Hamlapur
		Betul Kotwali	Sadar
		Betul Kotwali	Ganj
		Betul Kotwali	Tikari
		Sarni	Pathakheda
5	Vidisha	Kotwali	Mohangiri (Ward No. 3 and 5)
		Kotwali	Lohangi Mohalla (Ward No. 21 and 22)
6	Shivpuri	Kotwali	Lalmati Phatehpur (Ward No. 13)
7	Morena	Station	Tussipura (Ward No. 12)
		Station	Subhash Nagar (Ward No. 14)
		Kotwali	Gopalpura (Ward No. 45)
		Ambah	Pootha wadphara
8	Harda	Sirali	Makdai Road
9	Gwalior	Hazira	Hazira Chouraha

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ-1 (ए) 192-99-ब-2-दो.—श्री मकरन्द, देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 17 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड वर्ष 2014-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लद्दाख जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की सुविदा प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1	श्री मकरन्द देउस्कर	स्वयं
2	श्रीमती निधि	पत्नी
3	कु. सौम्या	पुत्री
4	कु. सनिका	पुत्री

(2) श्री मकरन्द, देउस्कर, भापुसे, की उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्यभार सुश्री सोनाली मिश्रा भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द, देउस्कर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मकरन्द, देउस्कर, भापुसे, द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मकरन्द, देउस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द, देउस्कर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 213-96-ब-2-दो.—श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 23 से 28 मई 2016 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 20, 21 एवं 29 मई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुएं खण्ड वर्ष 2014-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ (जम्मू कश्मीर) जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1	श्री जयदीप प्रसाद	स्वयं
2	श्रीमती भारती प्रसाद	पत्नी
3	यशदीप	पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2016

क्र. एफ-1 (ए)-42-2009-ब-2-दो.—(1) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा को दिनांक 1 से 12 अगस्त 2016 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं 13, 14 अगस्त 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), भोपाल का कार्य श्री जी. के. पाठक, भापुसे अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए)-154-93-ब-2-दो.—(1) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11, 12, 18 एवं 19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर, कार्य श्री आर.पी. सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर, द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए)-156-93-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई 2016 द्वारा श्री पवन श्रीवास्तव, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज इन्दौर को दिनांक 2 से 13 मई 2016 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1 एवं 14-15 मई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित लक्ष्यदीप जाने की अनुमति तथा 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसे निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2016

क्र. एफ-1 (ए)-85-1999-ब-2-दो.—(1) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) भोपाल को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5, 11 एवं 12 जून के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) भोपाल का कार्य श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए)-153-90-ब-2-दो.—(1) श्री पी. एस. फलणीकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी), भौंरी, भोपाल को दिनांक 13 से 30 जून 2016 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पी. एस. फलणीकर, भापुसे, की अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक (मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी), भौंरी, भोपाल का कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. फलणीकर भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी), भौंरी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. एस. फलणीकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी), भौंरी, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. एस. फलणीकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. फलणीकर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2016

क्र. एफ-1 (ए) 20-92-ब-2-दो.—श्री प्रदीप कुमार रूनवाल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय,

भोपाल को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ उटी (तमिलनाडू) जाने की अनुमति तथा 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रदीप रूनवाल	स्वयं
2	श्रीमती ममता रूनवाल	पत्नी

(2) श्री प्रदीप कुमार रूनवाल, भापुसे, की उक्त अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्यभार श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार रूनवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रदीप कुमार रूनवाल, भापुसे के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप कुमार रूनवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार रूनवाल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए)-116-2005-ब-2-दो.—(1) श्री आर.एल. प्रजापति, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज, भोपाल को दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर.एल. प्रजापति, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज, भोपाल का कार्य श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (अभियान/प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर.एल. प्रजापति, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर.एल. प्रजापति, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर.एल. प्रजापति, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.एल. प्रजापति, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जून 2016

पंजी क्र. 1971-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के आदेश क्रमांक फा. 17 (ई) 59-2002-इक्कीस-ब (एक)06, भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2006 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत स्थापित परिवार न्यायालय, रीवा में कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती ज्ञान देवी पाण्डेय को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था.

कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय (परिवार न्यायालय) के प्रधान न्यायाधीश ने श्रीमती ज्ञान देवी पाण्डेय की परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति को समाप्त किय जाने की सिफारिश की है.

प्रधान न्यायाधीश की उक्त सिफारिश दिनांक 20 नवम्बर 2014 पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार, एतद्द्वारा, परामर्शदाता के पद पर नियुक्त श्रीमती ज्ञान देवी पाण्डेय की नियुक्ति को समाप्त करता है.

फा. क्र. 17-(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-1851-2016.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 एवं 80 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक

और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

स.क्र	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-3.	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3, ग्वालियर.
80.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-10.	श्री सुनील कुमार जैन (सीनि.) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-10 सागर.".

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)-1851-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 38 and 80 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior.	Shri Sudeep Kumar Shrivastava, Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior.
80.	Sagar	Additional Sessions Judge, Special Court No. 10, Sagar.	Shri Sunil Kumar Jain (Sr.) Additional Sessions Judge, Special Court No. 10, Sagar.".

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-1851-016.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

सारणी

अ.क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3.	सिविल जिला ग्वालियर का समस्त विद्युत् क्षेत्र.".

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-1851-016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 38 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior.	All Electricity Area of Civil District Gwalior.".

भोपाल, दिनांक 6 जून 2016

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2051-2016.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)3277-2016, दिनांक 1 नवम्बर 2014 को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)186-2015, दिनांक 7 फरवरी 2015 एवं फा.क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)1510-2016, दिनांक 5 मई 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को सारणी के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय के लिए सारणी के कॉलम (4) में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 उपधारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन अनवेषण किये गये अन्य समस्त अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है :—

सारणी

अनु क्र. (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	मुख्यालय (3)	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
1	श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर.
2	श्री जय प्रकाश सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खंडवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.

F.N. 1-5-96-XXI-B(One)-2051-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No.49 of 1988), and in partial supersession of this departments notification F.No. 1-5-96-XXI-B(One)3277-2014, dated 1 November 2014 and in supersession of this departments notification F.No. 1-5-96-XXI-B(One)186-2015, dated 7 February 2015 and F.No. 1-5-96-XXI-B(One)1510-2016, dated 5 May 2016, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge with the head Quarter specified in the corresponding entry in column (3) thereof for the areas comprising in column (4) thereof to try the cases relating to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judge (2)	Headquarter (3)	Jurisdiction of special court (4)
1	Shri Raveendra Kumar Bhadrasen, 11nd Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Hoshangabad, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur and Ashoknagar.
2	Shri Jai Prakash Singh IVth Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, Khandwa, Neemuch, Badwani, Alirajpur and Burhanpur.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2016

फा. क्र. 17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)1740-2016.—कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाईकोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिये जिलास्तर पर, कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के लिए उक्त अधिनियम के

अधीन उन्हें प्रदत्त क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन से, वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करता है, अर्थात् :—

सारणी

स.क्र. (1)	जिला (2)	स्थानीय क्षेत्राधिकार (3)
1	बालाघाट	राजस्व, जिला बालाघाट
2	भोपाल	राजस्व, जिला भोपाल
3	बुरहानपुर	राजस्व, जिला बुरहानपुर
4	इन्दौर	राजस्व, जिला इन्दौर
5	जबलपुर	राजस्व, जिला जबलपुर
6	रायसेन	रजस्व, जिला रायसेन
7	सतना	राजस्व, जिला सतना

F.N. 17(E)17-2016-XXI-B(One)-1740-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the consultation of the High Court, hereby constitutes Commercial Courts at District level for the districts mentioned in column (2) of table given below for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on them under the said Act for the local limits of the area, as specified in column (3) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	District (2)	Local limits of area (3)
1	Balaghat	Revenue District Balaghat
2	Bhopal	Revenue District Bhopal
3	Burhanpur	Revenue District Burhanpur
4	Indore	Revenue District Indore
5	Jabalpur	Revenue District Jabalpur
6	Raisen	Revenue District Raisen
7	Satna	Revenue District Satna

फा. क्र. 17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)2057-2016.—कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाईकोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का सं. 4) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को उसके कॉलम (2) में उल्लिखित वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है अर्थात् :—

सारणी

स.क्र. (1)	जिला (2)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (3)
1	बालाघाट	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
2	भोपाल	कु. भावना साधो, चतुर्दश अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल.
3	बुरहानपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
4	इन्दौर	श्री पद्मेश शाह, द्वादश अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर.
5	जबलपुर	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर.
6	रायसेन	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन
7	सतना	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना

F.N. 17(E)17-2016-XXI-B(One)-2057-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the persons mentioned in column (3) of the table given below to be the Judges of the Commercial Courts of districts mentioned in column (3) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	District (2)	Name of the Officer and Designation (3)
1	Balaghat	The District and Sessions, Judge, Balaghat.
2	Bhopal	Ku. Bhawana Sadho, XIV, Additional District Judge, Bhopal.
3	Burhanpur	The District and Sessions Judge, Burhanpur.
4	Indore	Shri Padmesh Shah, XII Additional District Judge, Indore.

(1)	(2)	(3)
5	Jabalpur	Shri Sunil Kumer, Shrivastava, IV Additional District Judge, Jabalpur
6	Raisen	The District and Sessions, Judge, Raisen
7	Satna	The District and Sessions, Judge, Satna.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2016

फा. क्र. 3 (ए)-1-2005-इक्कीस-ब(एक)-2148.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री रमेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम, के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, विदिशा को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

फा. क्र. 1(बी)13-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री अशोक गवली अधिवक्ता को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये आगर मालवा सत्र खण्ड के आगर मालवा राजस्व जिले के एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

फा. क्र. 1(बी)05-2005-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री नवीन वर्मा को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये विदिशा सत्र खण्ड के विदिशा राजस्व जिले के एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री नवीन वर्मा की जन्मतिथि 20 सितम्बर 1972 (बीस सितम्बर उन्नीस सौ बहत्तर) है.

फा. क्र. 1(बी)12-2014-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये उमरिया सत्र खण्ड के उमरिया राजस्व जिले के एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

टीप.—जन्मतिथि 17 अक्टूबर 1955.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2016

फा. क्र. 1(सी)12-2012-2014-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2015 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो भोपाल के प्रकरणों में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 (8) के अधीन राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरों भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त श्री सुशील चंद्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में एक वर्ष अर्थात् दिनांक 28 जून 2016 से 27 जून 2017 तक की अभिवृद्धि करता है.

फा. क्र. 1(बी)12-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया	शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला भिण्ड.
2	श्री जगदीश प्रसाद दीक्षित	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भिण्ड.

(1)	(2)	(3)
3	श्री रवीन्द्र कुमार मुदगल	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भिण्ड.
4	श्री रवीन्द्र कुमार नगाइचं	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भिण्ड.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)19-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये शहडोल सत्र खण्ड के शहडोल राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री शिवकांत त्रिपाठी (जन्ततिथि 9-2-1967)	शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला शहडोल.
2	श्री सुरेश कुमार जेठानी (जन्ततिथि 5-10-1968)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला शहडोल.
3	श्री नारायण कुमार मिश्रा (जन्ततिथि 1-6-1964)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला शहडोल.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-20-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नन्द किशोर चौरसिया, अधिवक्ता को निम्न शर्तों पर शिवपुरी राजस्व जिले के तहसील पिछोर के लिए शासकीय अधिवक्ताओं के पैनल में एक वर्ष की अवधि के लिए शामिल करता है यह पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये तथा सूचना दिये बिना समाप्त की जा सकती है.

श्री चौरसिया अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक की अनुपस्थिति में ही न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी का कार्य करेंगे.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2016

फा. क्र. 1(सी)-13-2015-एट्रोसिटीज-1401-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री कुंवर बहादुर सिंह, अधिवक्ता जिला रीवा को जिला रीवा में निम्नलिखित शर्तों के अधीन विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

1. यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे.

2. उन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(सी)-13-1970-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार ग्वालियर जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री दीपक कुर्रे, अधिवक्ता को जिला खण्डवा में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री दीपक कुर्रे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जावेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(बी)03-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

क्रमांक (1)	नाम (2)	जन्मतिथि (3)	पदनाम (4)
1	श्री गिरीश मुंगी	3-5-1956	शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला देवास.
2	श्रीमती जयन्ती पौराणिक.	25-1-1971	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला देवास.
3	श्री कमल किशोर हरनिया.	8-3-1969	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील बागली, जिला देवास.
4	श्री गोपाल तिवारी	18-6-1963	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, जिला देवास.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2016

फा. क्र. 1(बी)30-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों/अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये रीवा सत्र खण्ड के रीवा राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)
1	श्री हरिशंकर पटेल (जन्तिथि 1-12-1966)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला रीवा.
2	श्री नीलग्रीव पाण्डेय (जन्ततिथि 28-10-1972)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला रीवा.
3	श्रीमती सरिता सिंह (जन्ततिथि 20-8-1964)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला रीवा.
4	श्रीमती शशि तिवारी (जन्ततिथि 20-8-1973)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला रीवा.
5	श्री जयलाल साकेत (जन्ततिथि 1-9-1968)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील मउगंज, जिला रीवा.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2016

फा. क्र. 1(बी)15-2014-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री केशव सिंह चौहान को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

टीप.—जन्मतिथि 10 जून 1975.

फा. क्र. 1(सी)-1969-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री रामचरित्र मिश्रा, अधिवक्ता जिला उमरिया को जिला उमरिया में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री रामचरित्र मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष अथवा 62 वर्ष जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

श्री रामचरित्र मिश्रा, अधिवक्ता, उमरिया को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

जन्मतिथि 31 अक्टूबर 1958

फा. क्र. 1(सी)-1972-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री कृष्णपाल सिंह झाला, अधिवक्ता जिला नीमच को जिला नीमच में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री कृष्णपाल सिंह झाला द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष अथवा 62 वर्ष जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

श्री कृष्णपाल सिंह झाला, अधिवक्ता, नीमत को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

जन्मतिथि 11 जनवरी 1979

पंजी क्र. 1627-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा में नियुक्त नोटरी श्री आर.सी. उपाध्याय का दिनांक 30 मई 2013 को निधन होने के फलस्वरूप, नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 1996 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को अपास्त करते हुए, श्री आर. सी. उपाध्याय का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

फा. क्र. 1(सी)1999-इक्कीस-ब-(दो)-2016.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के (1) एवं नियम 8 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आलोक गुप्ता, उप संचालक अभियोजन, ग्वालियर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण एवं प्राधिकृत अधिकारी ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. बी-4-20-15-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा; जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु मंत्रि-परिषद् आदेश क्रमांक 39, दिनांक 21 अप्रैल 2016 के परिपालन में स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:—

1. उक्त महाविद्यालय में प्रवेश शैक्षणिक सत्र जुलाई 2016 से प्रारंभ किया जावे.

2. नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अधीन आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, पवारखेड़ा की कुल 183.287 हैक्टेयर भूमि में से 50 हैक्टेयर भूमि का उपयोग किया जावे.

3. कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास के लिये अनावर्ती मद में रुपये 7410.56 लाख [परिशिष्ट-2 (अ) के अनुसार] तथा संचालन के लिये आवर्ती व्यय हेतु प्रति वर्ष राशि परिशिष्ट 2 (ब) के अनुसार राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी. महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2023-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 मार्च, 2016 के परिशिष्ट 3(अ) एवं परिशिष्ट 3 (ब) अनुसार अधिष्ठाता का एक पद, सहप्राध्यापक के 09, पद सहायक प्राध्यपक के 38 पद तथा गैर शैक्षणिक 55 पद कुल 103 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

परिशिष्ट 2 (अ)

नवीन कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला-होशंगाबाद की स्थापना हेतु अनावर्ती एवं आवर्ती मद अन्तर्गत व्यय का विवरण

अ-अनावर्ती व्यय (अधोसंरचना विकास) :

क्र. (1)	मद (2)	राशि रुपये लाख में (3)
1	प्रशासनिक एवं महाविद्यालय भवन	3795.21
2	छात्रावास (बालक) भवन	512.95
3	छात्रावास (बालिका) भवन	462.77
4	आवासीय भवन	767.10
5	स्टूडेन्ट सुविधायें (इस घटक में 30 दुधारू पशु सम्मिलित हैं)	357.59
	योग . .	5895.62
6	अभियांत्रिकी एवं विद्युतीय कार्य (33 के.व्ही. लाईन सब स्टेशन) पुराने भवनों का नवीनीकरण, कक्षा प्रारंभ करने हेतु 4 शेड का निर्माण आदि.	723.00
7	महाविद्यालय प्रॉगण विकास	197.94
8	अनुसंधान प्रक्षेत्र का विकास एवं यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण	260.00
	विकास कार्य योग . .	1180.94
9	उपकरण	300.00
10	महाविद्यालय बस	18.00
11	जीप/कार	16.00
	अधोसंरचना विकास कुल योग . .	7410.56

ब-आवर्ती व्यय (पांच वर्ष के लिये) :

1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक संवर्ग)	1634.89
2	वेतन एवं भत्ते (गैर शैक्षणिक संवर्ग)	1130.11
3	यात्रा भत्ता एवं पी.ओ.एल.	100.00
4	आवर्ती (आकस्मिकता व्यय)	348.00
5	ब्लाक ग्रांड (पांच वर्ष के लिये)	1000.00
	आवर्ती व्यय योग . .	4213.00
	अ एवं ब का योग . .	11623.56

परिशिष्ट 2 (ब)

नवीन कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला-होशंगाबाद की स्थापना हेतु वर्षवार पांच वर्षों के लिये बजट प्रावधान

क्र. (1)	विवरण (2)	प्रथम वर्ष (3)	द्वितीय वर्ष (4)	तृतीय वर्ष (5)	चतुर्थ वर्ष (6)	पंचम वर्ष (7)	कुल (8)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक संवर्ग).	252.83	293.01	553.65	795.78	869.73	2765.00
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	60.00	65.00	70.00	75.00	78.00	348.00
3	यात्रा भत्ता एवं पी.ओ.एल.	16.67	18.33	20.00	21.67	23.33	100.00
4	उपकरण	100.00	200.00	—	—	—	300.00
5	अधोसंरचना कार्य (भवनों का निर्माण कार्य (मुख्य भवन, छात्रावास, आवासीय भवन आदि).	300.00	1030.00	1521.87	1521.87	1521.88	5895.62
6	विकास कार्य (विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रॉगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण.	200.00	200.00	260.31	260.31	260.32	1180.94
7	ब्लाक ग्रांड	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1000.00
8	वाहन (बस/जीप)	34.00	—	—	—	—	34.00
	महायोग . .	1163.00	2006.34	2625.83	2874.63	2953.26	11623.56

परिशिष्ट 3 (अ)

कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा (होशंगाबाद) के लिये प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

अ. **प्रशासकीय पद**

1. अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67.000+10000 ग्रेड पे

ब. **शैक्षणिक पद :—**

क्र.	विभाग	सह-प्राध्यापक वेतनमान रु. 37,400—67,000 (ग्रेड पे 9000)	सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600—39,100 (ग्रेड पे 6000)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सस्य विज्ञान	01	03

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन	01	03
3	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन	01	03
4	कीट शास्त्र	01	02
5	कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रक्षेत्र प्रबंध	01	03
6	कृषि अभियांत्रिकी (फार्म मशीनरी/मृदा जल यांत्रिकी/ सिविल).	01	03
7	पादप रोग (प्लाट पैथोलाजी)	01	03
8	उद्यानिकी	01	03
9	कृषि विस्तार शिक्षा	01	03
10	वायो केमिस्ट्री/क्राप फिजियोलाजी/माइक्रबायोलाजी/ इन्वायरमेन्टल साइंस.	00	04 प्रत्येक विषय हेतु एक पद
11	सांख्यिकी	00	01
12	पशुपालन	00	02
13	जैव प्रौद्योगिकी	00	01
14	सहायक ग्रंथपाल	00	01
15	कम्प्यूटर साइंस	00	01
16	अंग्रेजी भाषा	00	01
17	शारीरिक शिक्षा (क्रीडा अधिकारी)	00	01
		कुल पद 09	38

कुल पद—अधिष्ठाता	01
सह प्राध्यापक	09
सहायक प्रध्यापक	38
योग कुल पद	48

परिशिष्ट 3 (ब)

कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा (होशंगाबाद) के लिये गैर शैक्षणिक पद

स. गैर शैक्षणिक पद :

क्र.	पदनाम	वेतनमान रु.	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शीघ्रलेखक/निज सहायक	5200—20220+2800	01
2	सहायक ग्रेड-1	5200—20220+2800	01
3	सहायक ग्रेड-2	5200—20220+2400	01
4	सहायक ग्रेड-3	5200—20220+1900	12
5	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5200—20220+2400	02
6	सब इंजीनियर	9300—34800+3200	01
7	फार्म मैनेजर (कृषि/पशुपालन)	9300—34800+3200	02
8	कार्यालय परिचारक	5200—20200+1800	05
9	पुस्तकालय सहायक (सहायक ग्रेड-2)	5200—20200+2400	01
10	प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी	5200—20200+2400	03
11	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200—20200+2400	05
12	प्रयोगशाला परिचारक	5200—20200+1800	05
13	इलेक्ट्रीशियन	5200—20200+2400	01
14	वाहन चालक (बस + ट्रेक्टर)	5200—20200+2100	02
15	वाहन चालक (जीप)	5200—20200+1900	01
16	परिचालक (बस)	4440—7440+1300	01
17	कम्पाउंडर	5200—20200+1900	01
18	नर्स	5200—20200+2100	01
19	सेनेटरी इंस्पेक्टर	5200—20200+2100	01
20	माली	4440—7440+1300	02
21	भृत्य	4440—7440+1300	02
22	चौकीदार	4440—7440+1300	02
23	सफाईकर्मी	4440—7440+1300	02
			कुल पद 55

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2016

क्र. एफ-1-25-2014-पन्द्रह-2.—राज्य शासन द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(ए)-45-2003-पन्द्रह-2, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 के सरल क्रमांक 11 से 25 को संशोधित करते हुए तत्कालीन उप/सहायक आयुक्त सहकारिता एवं उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से स्थाई किया जाता है:—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	जिस पद पर स्थाई किया (3)	स्थाईकरण का दिनांक (4)
1	श्री भंवर सिंह कोठारी, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	30-6-2000
2	श्री सुनील कुमार सिंह, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	31-7-2000
3	श्रीमती सुरेखा अहिरवार, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	28-2-2001
4	श्री डी. पी. सिंह, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	31-3-2001
5	श्री शिव प्रकाश कौशिक, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	30-11-2001
6	श्री पी. आर. कावड़कर, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	28-2-2002
7	श्री संजय मौर्य उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	30-6-2002
8	श्रीमती अनुभा वार्ष्णेय उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	30-6-2002
9	श्री रमाशंकर विश्वकर्मा, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	31-3-2003

(1)	(2)	(3)	(4)
10	श्री उमेश तिवारी, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	28-6-2005
11	श्री ओम प्रकाश गुप्ता, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	30-9-2005
12	श्री मनोज कुमार जायसवाल, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	30-9-2005
13	श्री मदनलाल गजभिये उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	28-6-2005
14	श्री एस. डी. आर्य, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	31-12-2006
15	श्री अखिलेश कुमार निगम उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं.	28-2-2007

(2) उक्त आदेश क्रमांक एफ 1(ए)45-2003-पन्द्रह-2, दिनांक 17 दिसम्बर 2008 के सरल क्रमांक 25 पर श्री सी.पी. सिंह भदोरिया तत्कालीन सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं का किया गया स्थाईकरण निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गायत्री पाराशर, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. एफ-11-15-2016-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	सतना	मझगवां	सरभंगा	यज्ञवेदी स्थल के प्राचीन मंदिरों के अवशेष.	51/1	18.736 में से 500×500 मीटर क्षेत्र.	म. प्र. शासन, वन विभाग रास्ता.	नहीं
मध्यप्रदेश	सतना	मझगवां	सरभंगा	शैलोत्कीर्ण गणेश प्रतिमा व ब्रम्हकुण्ड के समीप के मंदिर व छत्र.	45	0.198	म. प्र. शासन, वन विभाग	नहीं
					46	0.129	म. प्र. शासन, रास्ता.	नहीं
					47	18.896 में से 500×500 मी. क्षेत्र.	म. प्र. शासन, पहाड़	नहीं
मध्यप्रदेश	सतना	मझगवां	सरभंगा	महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर.	29	0.352	म. प्र. शासन, वन विभाग	नहीं
					30	0.858	म. प्र. शासन, वन विभाग	नहीं
मध्यप्रदेश	सतना	मझगवां	सरभंगा	वृद्धाश्रम के पीछे का प्राचीन शिवमंदिर.	42	0.979 में से 100×100	श्री राम जानकी भगवान पुजारी श्री महन्त रामशिरोमणीदास चेला लक्ष्मणदास प्रबंधक कलेक्टर सतना.	हां
मध्यप्रदेश	सतना	मझगवां	सरभंगा	शैलोत्कीर्ण चमुण्डा सांवर पहाड़ी (खदान क्षेत्र में स्थित).	47	18.896 में से 300×300 मी. क्षेत्र	म. प्र. शासन पहाड़.	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जून 2016

क्र. एफ बी-4-08-2016-2-पांच-(16).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (9) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना बी-7(ए)-98-94-वा.कर-पांच, दिनांक 8 सितम्बर 1994 को निरस्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2016

क्र. एफ-बी-4-08-2016-2-पांच-(16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-08-2016-2-पांच-(16), दिनांक 9 जून, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 9th June 2016

No. B-4-08-2016-2-V (16).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause 9 of Section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, rescinds this Department Notification No. B-7(A)-98-94-CTD, dated 8th September 1994.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

बैहर, दिनांक 25 मई 2016

क्र. 01-अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (4) एवं (5) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन :—

(क) जिला—बालाघाट (ख) तहसील—बैहर (ग) ग्राम—बैहर (रौंदा टोला) (घ) पटवारी ह. नं. 17/1 (ङ) क्षेत्रफल

क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम, जाति व निवासी ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल अर्जित क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार
			सिंचित	असिंचित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमति सुन्नीबाई पति बृजलाल, शिवलाल पिता बृजलाल अन्य-4 जाति अहीर, निवासी बैहर (रौंदा टोला).	21/1 में से	—	0.411	निजी भूमि
2	श्री सुरेश पिमत बुधराम, अशोक पिता बुधराम अन्य-2 जाति अहीर, निवासी बैहर (रौंदा टोला).	21/2 में से	—	0.379	निजी भूमि
3	श्री संतलाल पिता मलकू जाति अहीर निवासी बैहर (रौंदा टोला).	21/3 में से	—	0.524	निजी भूमि
4	श्री लखन पिता मलकू, जाति अहीर, निवासी बैहर (रौंदा टोला).	21/4 में से	—	0.433	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	श्री सुरेन्द्र पिता जुगराज, रामबती पति जुगराज, अन्य-6 जाति अहीर, निवासी बैहर (रौंदा टोला).	21/5 में से	—	0.638	निजी भूमि
6	श्री रामसिंह, सम्पत, प्रकाश पिता जंगलसिंह चम्मीबाई पति जंगलसिंह, जाति गोंड, निवासी बैहर (रौंदा टोला).	40 में से	1.011	—	निजी भूमि
7	श्री चेतराम पिता चाहू, जाति गोंड, निवासी बैहर (रौंदा टोला).	47/3 47/4	0.774 0.210 0.984	—	निजी भूमि
8	श्रीमति सरोज पति चेतराम जाति गोंड, निवासी बैहर (रौंदा टोला).	41/1/2, (45/145/2)2 46/1ख	0.081 0.128 0.209	—	निजी भूमि
9	श्रीमति धनेश्वरी पति सम्पतसिंह, जाति गोंड, निवासी बैहर (रौंदा टोला).	47/2/1 में से	0.405	—	निजी भूमि
	09 खातेदार	10	2.609	2.385	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन.—झारा जलाशय (झाराखेडा) के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैहर के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजन, संभाग बैहर में किया जा सकता है.

क्र. 02-अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन :—

(क) जिला—बालाघाट (ख) तहसील—बैहर (ग) ग्राम—बैहर (रौंदा टोला) (घ) पटवारी ह. नं. 17/1 (ङ) क्षेत्रफल

क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम, जाति व निवासी ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल अर्जित क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार
			सिंचित	असिंचित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री छत्तरसिंह वल्द दशरू, जाति गोंड अन्य 08 सा रौंदाटोला.	18 में से	1.371	—	निजी भूमि
2	श्री बृजलाल पिता नंदराम अन्य 10 सा. रौंदाटोला.	20 में से	0.470	—	निजी भूमि
	02 खातेदार	02	1.841	—	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन.—झारा जलाशय (झाराखेडा) के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैहर के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजन, संभाग बैहर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम), जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

डिण्डौरी, दिनांक 1 जून 2016

क्र. 2-2016.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए मैं, अमित तोमर, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 (3) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति पुनर्गठन का एतद्द्वारा करता हूं:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला डिण्डौरी (म. प्र.)

(ए) अध्यक्ष धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार—

(1) अपर जिला दण्डाधिकारी, डिण्डौरी (म. प्र). अध्यक्ष

(बी) सदस्य-तीन व्यक्ति जो अनु. जाति/अनु.जनजाति के हों एवं जिले में निवास करते हों— धारा 13 (2) खण्ड (ख) के अनुसार—

(1) श्री मान सिंह करपेती, ग्राम पो. गाडासरई, जिला डिण्डौरी सदस्य
(2) श्री धरम सिंह मसराम, ग्राम पो. सक्का, जिला डिण्डौरी सदस्य
(3) श्री चैन सिंह तेकाम, ग्राम भालापुरी, पो. मारगांव, जिला डिण्डौरी सदस्य

(सी) सदस्य-दो सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले में निवास करते हों:— धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1) श्री विरेन्द्र सोनी, गायत्री मंदिर के पास डिण्डौरी जिला डिण्डौरी सदस्य
(2) श्री के. एस. राजपूत, सुब्खार डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी सदस्य

(डी) सदस्य-राज्य शासन द्वारा नामांकित— धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी सदस्य
(2) पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी सदस्य
(3) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला डिण्डौरी सदस्य

(ई) सदस्य-वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने हेतु— धारा 13 (2) खण्ड (च) के अनुसार—

(1) प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक जैन पेट्रोल पंप के सामने, जिला डिण्डौरी सदस्य

3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग डिण्डौरी

धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार—

(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिण्डौरी (म. प्र). अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

(1)	श्री भारत सिंह नेटी, ग्रम पो. करंजिया, जिला डिण्डौरी	सदस्य
(2)	श्री अशोक कुमार साहू, ग्रा. पो. बजाग, जिला डिण्डौरी	सदस्य
(3)	श्री हरिनारायण खैरवार, ग्रा. पो. डिण्डौरी जिला डिण्डौरी	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1)	श्री घनश्याम यादव, ग्रा. अलोनी पो. अमरपुर, जिला डिण्डौरी	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

(1)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डिण्डौरी	सदस्य
(2)	अध्यक्ष, जनपद पंचायत, डिण्डौरी	सदस्य
(3)	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

(1)	प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मैन रोड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी	सदस्य

4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग शहपुरा

धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार—

(1)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहपुरा (म. प्र).	अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

(1)	श्रीमती तिरंजना धुर्वे, ग्राम पारापानी, पोस्ट पारापानी, जिला डिण्डौरी	सदस्य
(2)	श्री गुलाब सिंह भवेदी, ग्राम पोस्ट मेहदवानी	सदस्य
(3)	श्री जगन्नाथ बनवासी, वार्ड नं. 08, शहपुरा	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1)	श्री गोवर्धन दास तेजवानी, शहपुरा	सदस्य
(2)	कु. कृष्णा उरैती, ग्रा. पं. कस्तूरी पिपरिया, हाल मुकाम शहपुरा	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

(1)	तहसीलदार शहपुरा जिला डिण्डौरी	सदस्य
(2)	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग शहपुरा	सदस्य
(3)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

(1)	प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक, शहपुरा.	सदस्य

अमित तोमर, कलेक्टर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462 011

भोपाल, दिनांक 4 जून 2016

आदेश

क्र. एफ. 87-318-15-ग्यारह-278.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह फरवरी, 2015 में सम्पन्न **नगर परिषद् भेड़ाघाट, जिला जबलपुर म. प्र.** के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में **श्रीमती मालती रघुवीर व्यास** भी अध्यक्ष अभ्यर्थी थीं. **इस नगर परिषद्** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 26 दिसम्बर 2015 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 25 जनवरी 2016 तक, **श्रीमती मालती रघुवीर व्यास** को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर के पत्र क्रमांक 2047, दिनांक 2 फरवरी 2016 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी **श्रीमती मालती रघुवीर व्यास** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर, जबलपुर से आयोग को प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी **श्रीमती मालती रघुवीर व्यास** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 मार्च 2016 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरान्त कलेक्टर एवम् जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक 16, दिनांक 7 अप्रैल 2016 आयोग को प्राप्त हुआ. ज्ञापन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अभ्यर्थी को सूचना उपरान्त अभ्यर्थी ने अपना लिखित अभ्यावेदन व निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा 5 अप्रैल 2016 अपराह्न में प्रस्तुत किया है. अभ्यावेदन में प्रत्याशी ने स्वयं के स्वास्थ्य खराब होने के कारण लेखा समय पर जमा न करना बताया है. साथ ही संबंधित सभी दस्तावेज संलग्न आयोग को भेजे गए.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर से उक्ताशय् की रिपोर्ट को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा पूर्णविचारोपरांत अभ्यर्थी, **श्रीमती मालती रघुवीर व्यास** को उनके निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु एक मौका और देते हुए नोटिस दिनांक 2 मई 2016 जारी कर, आयोग मुख्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 24 मई 2016 को बुलाया गया. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी श्रीमती व्यास को समय पूर्व अर्थात् दिनांक 7 मई 2016 को हो चुकी थी.

व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 24 मई 2016 को अभ्यर्थी **श्रीमती व्यास** के स्थान पर उनके पुत्र **श्री विमल व्यास** उपस्थित हुए. उनके द्वारा अभ्यर्थी **श्री व्यास** की ओर से आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वास्थ्य संबधी कारणों का उल्लेख कर विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने का लेख अभ्यावेदन में किया गया, पर इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये.

अत:, उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, **श्रीमती मालती रघुवीर व्यास** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत ही नहीं किये गये. अत: इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मालती रघुवीर व्यास** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् भेड़ाघाट जिला जबलपुर** (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक एफ–25–29/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसुची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $22^0$2'04" से $22^0$2'09" उत्तर अक्षांश तथा $80^0$24'26.5" से $80^0$24'35.7" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – बालाघाट
वनमण्डल – उत्तर (सामान्य) वनमण्डल बालाघाट
तहसील – परसवाड़ा
वन परिक्षेत्र– पश्चिम बैहर (सा.) परिक्षेत्र

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टे.मे.)	
1.	सिंघई	सिंघई	निजी भूमि	70/4 में से, 70/5, 70/6	0.982 0.809 0.809	**उत्तर** – प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 16 D से 16 F तक की कृत्रिम वन सीमा। **पूर्व** – वन कक्ष क्रमांक 1539 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 16 F से मुनारा क्र. 16 तक की वन सीमा। **दक्षिण** – कक्ष क्रमांक 1539 के प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 16 से मुनारा क्रमांक 16 B तक की कृत्रिम वन सीमा। **पश्चिम** – प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 16 B से 16 D की कृत्रिम वन सीमा।
				योग –	2.600	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एम.पी.सी.11/2005–बी.एच.ओ./615 दिनांक 10.04.2006 में अधिरोपित शर्तं के अनुसार **ए.पी.त्रिवेदी संस, मेन रोड़ बालाघाट** की स्वीकृत परियोजना **ग्राम रमरमा में मैंगनीज उत्खनन पट्टे के नवीनीकरण हेतु** में प्रभावित 2.452 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.600 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.600 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट के आदेश **क्रमांक/4054/ ख.लि./12** दिनांक 09.11.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. **अन्य कारणों का विवरण** :– निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी **तहसीलदार उकवा, परसवाड़ा** के प्रतिवेदन क्रमांक 1 **अ–24–वर्ष–11–12** दिनांक **01.08.2012** द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) व्यक्ति अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्गित अधिकार नहीं है।
(ब) सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–29–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–29–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No.F.25/29/2016/1043 in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing right of individuals or communities shall not be abridged of affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $22^0$2'04" to $22^0$2'9" North Latitude and $80^0$24'26.5" to $80^0$24'35.7" East Longitude.

SCHEDULE

District : Balaghat
Forest Division: North (T) Forest Division Balaghat

Tahsil : Paraswara
Forest Range : West Baihar

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra no.	Area (Hac.)	
1.	Singhai	Singhai	Private land	70/4 में से, 70/5, 70/6	0.982 0.809 0.809	**North** – Proposed Artificial Forest Boundary of Pillar number 16D from Pillar number 16 F. **East** – Forest Line of Pillar No. 16 F from Pillar No 16 of Forest Compartment No. 1539 of Western Boundary. **South** – Forest Compartment No. 1539 of Proposed Pillar NO. 16 to pillar No. 16 B. **West** - Proposed Artificial Forest Boundary of Pillar No. 16 B to pillar No. 16 D.
				Total	2.600	

(A) **Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid known in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order **No. 6MPC11/2005-BHO/615 dated 10.04.2006** and in lieu of **2.452 Hac.** hectare of affected forest land under the sanctioned project of Village **Ramrma, Renewal of Mangnese lease** of **A. P. Trivedi son's, Main road Balaghat.** the above mentioned Non Forest Land of **2.600 hectare** transferred or muted in favor of M.P. Govt, Forest Department by order **No./4054/M.C./12 Date 09-11-2012** of **2.600 Hac.** for the purpose of compensatory a forestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reason - Nil

(B) The khasara wise details of recorded rights on the above land as per report **No/1A-24-year-11-12 Date 01.08.2012** of **Thasildar Ukwa, Paraswara** (Designation of Competent Revenue Officer) are as Under.

A. Right of Individuals :- No Individuals Right in this land.
B. Right of Communities :- No Communities Right in this land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक एफ–25–33/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $22^0$27'56.003"N से $22^0$28',4.095" उत्तर अक्षांश तथा 75^0,45',5.464" से E-$75^0$45',10.332" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला –इन्दौर तहसील – डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)
वनमण्डल – इन्दौर वन परिक्षेत्र – महू

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बड़गौंदा (अ)	बड़गौंदा	शासकीय चारागाह	365	1.550	उत्तर – मुनारा क्र. 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा।
						पूर्व – मुनारा क्र. 02 से 03 तक की कृत्रिम सीमा।
						दक्षिण – मुनारा क्र. 03 से 04 तक की कृत्रिम सीमा।
						पश्चिम – मुनारा क्र. 04 से 09 तक एवं मुनारा क्र. 04 से 01 तक की कृत्रिम सीमा।
				योग	1.550	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8B/201/2000-FCW/2309 दिनांक 27.06.2001 (सैद्धान्तिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना नाहरखेड़ी जलाश्य में प्रभावित 4.920 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.920 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.550 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी महू के आदेश क्रमांक 2212 दिनांक 26.09.2002 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :– निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–33–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–33–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No. F-25-33/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between **$22^0$27'56.003"N to $22^0$28',4.095" North Latitude and 75^0,45',5.464" to E-$75^0$45',10.332"** East Longitude.

SCHEDULE

District - Indore Tehsil. -Dr. Ambedkarnagar (Mhow)
Forest Division - Indore Forest Range -Mhow

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bargonda (A)	Bargonda	Shashkiya Charagah	365	1.550	North - Munara no. 01 to 02 Artificial boundary Line.
						East - Munara no. 02 to 03 Artificial boundary Line.
						South - Munara no. 03 to 04 Artificial boundary Line
						West - Munara no. 04 to 09 and Munara No. 04 to 01 Artificial boundary Line.
				Total	1.550	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. 8B/201/2000-FCW/2309 dated 27.06.2000 and in lieu of 4.920 hectare of affected forest land order the sanctioned project of Naharkhedi watertank project of Ex. Engr. water resources Dept. Indore, the above mentioned Non Forest Land of 1.550 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No-2212 dated 26-09-2002 of S.D.M. Mhow Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certification) of Tahsildar Mhow Distt. Indore are as under.

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक एफ–25–33/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $22^0$27'55.740" से $22^0$28',3.143" उत्तर अक्षांश तथा 75^0,44',41.541" से E-$75^0$44',49.976" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।।

:: अनुसूची ::

जिला –इन्दौर तहसील – डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)
वनमण्डल – इन्दौर वन परिक्षेत्र – महू

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बड़गौंदा (ब)	बड़गौंदा	शासकीय चारागाह	703 704	1.230 2.140	उत्तर – मुनारा क्र. 01 से 03 की कृत्रिम सीमा। पूर्व – मुनारा क्र. 03 से 04 की कृत्रिम सीमा। दक्षिण – मुनारा क्र. 04 से 05 की कृत्रिम सीमा। पश्चिम – मुनारा क्र. 05 से 01 की कृत्रिम सीमा।
				योग	3.370	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8B/201/2000-FCW/2309 दिनांक 27.06.2001 (सैद्धान्तिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना नाहरखेड़ी जलाश्य में प्रभावित 4.920 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.920 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.370 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी महू के आदेश क्रमांक 2212 दिनांक 26.09.2002 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :– निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–33–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–33–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No. F-25-33/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between **$22^0$27'55.740"** to **$22^0$28',3.143" North Latitude and 75^0,44',41.541"** to **$75^0$44',49.976"** East Longitude.

SCHEDULE

District - Indore **Tehsil. -Dr. Ambedkarnagar (Mhow)**
Forest Division - Indore **Forest Range -Mhow**

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bargonda (B)	Bargonda	Shashkiya Charagah	703 704	1.230 2.140	North - Munara no. 01 fo 02 Artificial boundary. East - Munara no. 03 fo 04 Artificial boundary. South - Munara no. 04 fo 05 Artificial boundary. West - Munara no. 05 fo 01 Artificial boundary.
				Total	3.370	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. 8B/201/2000-FCW/2309 dated 27.06.2000 and in lieu of 4.920 hectare of affected forest land order the sanctioned project of Naharkhedi watertank project of Ex. Engr. water resources Dept. Indore, the above mentioned Non Forest Land of 3.370 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No-2212 dated 26-09-2002 of S.D.M. Mhow Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of Reason :- Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certification) of Tahsildar Mhow Distt. Indore are as under.

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक एफ–25–35/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°53'45" से N 21°53'49" उत्तर अक्षांश तथा E 80°11'46" से E 80°12'00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – बालाघाट
वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.)

तहसील – बालाघाट
वन परिक्षेत्र – बालाघाट (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्राफल (हेक्टेयर)	
1.	धापेवाड़ा	धापेवाड़ा	घांस	17/1	1.704	उत्तर – प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड़ के मुनारा क्रमांक 02 से 06 तक कृत्रिम वन सीमा।
				17/2 में से		
			घांस	18	1.028	पूर्व – प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड़ के मुनारा क्रमांक 06 से 09 तक कृत्रिम वन सीमा।
			घांस	19	0.538	दक्षिण – प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड़ के मुनारा क्रमांक 09 से 20 एवं 20 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम – प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड़ के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	3.270	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक **8-452/88/FC** दिनांक 28/29.09.1988 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्रा क्रमांक/एफ–5/13/88/10–3 दिनांक 06.12.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड सिवनी की स्वीकृत परियोजना बालाघाट समनापुर राज्य मार्ग पर निर्मित सोनबिहरी पुलिया/पहुंच मार्ग में प्रभावित 3.270 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.270 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.270 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक 61/अ–59 दिनांक 30.08.1990 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) **उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी** तहसीलदार बालाघाट, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्रा के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।

2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–35–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–35–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No. F-25-35/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N $21^0$53'45" to N $21^0$53'49" North Latitude and E $80^0$11'46" to E $80^0$12'00" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Balaghat **Tahsil** : - Balaghat

Forest Division: - South Balaghat (Territorial) **Forest Range** : - Balaghat (Territorial)

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Dhapewada	Dhapewada	Ghansh	17/1	1.704	**North-** Proposed Artificial forest Boundary from Pillar No. 02 to 06 of Protected Forest Block.
				17/2 in		
			Ghansh	18	1.028	**East-** Proposed Artificial forest Boundary from Pillar No. 06 to 09 of Protected Forest Block.
			Ghansh	19	0.538	**South-** Proposed Artificial forest Boundary from Pillar No. 09 to 20 and 20 to 01 of Protected Forest Block.
						West - Proposed Artificial forest Boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block.
				Total	**3.270**	

(A) Reason for publication of Notification :–

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No **8-452/88/FC** dated **28/29-09-1988** & M.P. Government Forest Department Letter No./F-5/13/88/10-3 Dated 06-12-1989 and in lieu of 3.270 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Balaghat Samnapur State Highway approach road to Sonbehri Bridge of M.P. Rajya Setu Nirman Nigam Ltd Seoni, the above mentioned Non Forest Land of 3.270 hectare transferred or muted in favors of M.P. Govt., Forest Department by order No. 61/अ–59 dated 30.08.1990 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Balaghat, District Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक एफ–25–37/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह प्रस्तावित वनखंड बोरई उत्तर अक्षांश N 23° 51' 35.7" से N 23° 51' 58.0" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 79° 07' 06.7" से E 79° 07' 31.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं।

अनुसूची

जिला– सागर
वनमंडल का नाम –दक्षिण सागर (सामान्य)

तहसील – सागर
वन परिक्षेत्र – गढाकोटा

अ. क	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	बोरई	बोरई	चरोखर (शासकीय भूमि)	178/8	39.860	*उत्तर* – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 13 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा *पूर्व* – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क. 08 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा *दक्षिण* – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क. 01 से 22 तक कृत्रिम वन सीमा *पश्चिम* – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क. 22 से 13 तक कृत्रिम वन सीमा
				योग :–	39.860	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6MPCO031/2006-BHO/442 दिनांक 26.02.2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक–1 जिला सागर म.प्र. की स्वीकृत परियोजना **तिन्सी मारपानी जलाशय** में प्रभावित 39.860 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकवा 39.860 हे. गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में 39.860 हे. कलेक्टर सागर के आदेश क्रमांक 4अ/ 19(3)2005–06 दिनांक 27.12.2015 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गढ़ाकोटा द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसराबार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।

(ब) सामुदायिक अधिकार :– उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–37–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–37–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No.F-25-37/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the state Government are pleased to Declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government form time to time. This Forest Block **Borai** lies between North Latitude N 23^0 51' 35.7" to N 23^0 51' 58.0" North Latitude and East Longitude E 79^0 07' 06.7" to E 79^0 07' 31.0" East Longitude.

SCHEDULE

District- Sagar **Tehsil- Sagar**
Forest Division-South Sagar (territorial) **Range- Garahakota**

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
1	Borai	Borai	Charokhar Govt. land	178/8	39.860	**North** – Proposed Protected Forest Block Pillar No.13 to 08 Artificial Forest Boundri **East** – Proposed Protected Forest Block Pillar No. 08 to 01 Artificial Forest Boundri **South**– Proposed Protected Forest Block Pillar No.01 to 22 Artificial Forest Boundri **West**- Proposed Protected Forest Block Pillar No.22 to 13 Artificial Forest Boundri.
			TOTAL		**39.860**	

(A)Reason for publication of Notification :-

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Govt. of India's order no. 6-mpc031/2006-BHO/442 Bhopal dated 26.02.2008 and in lieu of **39.860** hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Tinsi Marpani Tank** Project of Executive Engineer Water Resource Division No. 1 sagar M.P. the above mentioned non forest land of **39.860** Hectare transferred or muted in favour of mp Government, Forest Department by Collector Sagar order no. 4A/19(3) 2005-06 Dated 27-12-2015 for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recored rights on the above land as per Certificate of Tehsildar **Garahakota** (Designation of Competent revenue officers) are as under.

(a) Rights of individuals :- Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights
(b) Rights of communities:- Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक एफ–25–38/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह प्रस्तावित वनखंड **पिपरिया बैध** उत्तर अक्षांश N 23° 47' 26.5" से N 23° 48' 03.5" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78° 53' 12.0" से E 78° 53' 53.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं।

अनुसूची

जिला– सागर तहसील – सागर
वनमंडल का नाम –दक्षिण सागर (सामान्य) वन परिक्षेत्र – ढाना

अ. क	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	पिपरिया वैध	पिपरिया वैध	चरोखर, छोटा घास (शासकीय भूमि)	97/1 213/2	38.660 6.570	*उत्तर* – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा कमांक 39 से 06 तक कृत्रिम वन सीमा *पूर्व* – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा कमांक 6 से 17 तक कृत्रिम वन सीमा *दक्षिण* – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 17 से 19 तक कृत्रिम वन सीमा *पश्चिम* – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 19 से 39 तक कृत्रिम वन सीमा
				योग :–	45.230	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 8-87/2014-FC दिनांक 26.10.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग कमांक–1 जिला सागर म.प्र. की स्वीकृत परियोजना **हिलगन जलाशय** में प्रभावित 45.230 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकवा 45.230 हे. गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में 45.230 हे. कलेक्टर सागर के आदेश कमांक 72अ/19(3)2011–12 दिनांक 20.02.2015 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सागर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसराबार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।

(ब) सामुदायिक अधिकार :– उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–38–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–38–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No. F-25-38/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the state Government are pleased to Declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government form time to time. This Proposed Protected Forest Block **Pipriya Baith** lies between North Latitude N 23^0 47' 26.5" to N 23^0 48' 03.5" North Latitude and East Longitude E 78^0 53' 12.0" to E 78^0 53' 53.0" East Longitude.

SCHEDULE

District- Sagar
Forest Division-South Sagar (territorial)

Tehsil- Sagar
Range- Dhana

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
1	Pipriya Baith	Pipriya Baith	Charokhar, Chhota Ghas Govt. land	97/1 213/2	38.660 6.570	**North** – Proposed Protected Forest Block Pillar No. 39 to 06 Artificial Forest Boundri **East** – Proposed Protected Forest Block Pillar No. 06 to 17 Artificial Forest Boundri **South**— Proposed Protected Forest Block Pillar No.17 to 19 Artificial Forest Boundri **West**- Proposed Protected Forest Block Pillar No.19 to 39 Artificial Forest Boundri
				TOTAL	45.230	

(A)Reason for publication of Notification :-

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Govt. of India's order no. 8-87/2014-FC dated 26.10.2015 and in lieu of 45.230 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Hilgan Tank Project of Executive Engineer Water Resource Division No. 1 sagar M.P. the above mentioned non forest land of 45.230 Hectare transferred or muted in favour of mp Government, Forest Department by Collector Sagar order no. 72A/19(3) 2011-12 Dated 20-02-2015 for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recored rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Sagar are as under.

(a) **Rights of individuals :- Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights**
(b) **Rights of communities:- Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

कमांक एफ–25–40/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (कमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें। यह वनखण्ड से N 24^0 11' 26.0" से N 24^0 12' 6.0" उत्तर अक्षांश तथा E 78^0 40' 46.0" से E 78^0 41' 7.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – सागर तहसील – बण्डा

वन मंडल – उत्तर सागर (सा.) वन परिक्षेत्र – मालथौन

अनु. क.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सेसई माफी	सेसई माफी	छोटा घांस	107/2, 5/2	22.01 4.50	उत्तर :– पी.एफ. 172 के मुनारा कमांक 16 से नया मुनारा कमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :– नया मुनारा कमांक 1 से पी.एफ. 172 के मुनारा कमांक 32 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :– पी.एफ. 172 के मुनारा कमांक 32 से 26 तक की वन सीमा। पश्चिम :– पी.एफ. 172 का मुनारा कमांक 26 से 16 तक की वन सीमा।
			Total:-		**26.51**	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 6–एम.पी.सी.027/2015–बी.एच.ओ./1279 दिनांक 18.11.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग कमांक–1 सागर की स्वीकृत परियोजना नयाखेड़ा (गनेशपुरा) जलाशय में प्रभावित 26.51 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 26.51 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.51 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश कमांक/22अ/19 (3) वर्ष 2013–14 दिनांक 05.08.2015 एवं 03अ/19 (3) वर्ष 2014–15 दिनांक 05.08.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश कमांक/22अ/19 (3) वर्ष 2013–14 दिनांक 05.08.2015 एवं 03अ/19 (3) वर्ष 2014–15 दिनांक 05.08.2015 के द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–40–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–40–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No. F-25-40/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24^0 11' 26.0" to N 24^0 12' 6.0" North Latitude and E 78^0 40' 46.0" to E 78^0 41' 7.5" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar **Tahsil - Banda**

Forest Division – North Sagar (T) **Forest Range – Malthone**

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				*Forest Block Boundaries*
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasai Mafi	Sasai Mafi	Chhota Ghas	107/2, 5/2	22.01, 4.50	**North :-** Artificial Forest Boundary PF 172 Pillar No. 16 to 1. **East :-** Artificial Forest Boundary Pillar No. 1 to 32 PF 172. **South :-** Forest Boundary of PF 172 Pillar No. 32 to 26. **West :-** Forest Boundary of PF 172 Pillar No. 26 to 16.
			Total:-		**26.51**	

Reason for Publication of Notification:-

1) In accorcance with the condition laid down in the Ministry of Emnvironment and Forest Govt. of India's order . No. 6-MPC027/2015-BHO/1279 Dated 18-11-2015 and in lieu of 26.51 hactare of affected forest land order the sanctioned project of NayaKhera (Ganashpura) Tank of E.E.W.R.D. No. 1 Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 26.51 hectare transfered of muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 22A/19(3) Year 2013-14 Dated 05-08-2015 & 3A/19(3) Year 2014-15 Dated 05-08-2015 of Revunue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report order No 22A/19(3) Year 2013-14 Dated 05-08-2015 & 3A/19(3) Year 2014-15 Dated 05-08-2015 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals :- There are not rights of individuals

(B) Rights of Communities :- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

कमांक एफ–25–43/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मोरिया उत्तर अक्षांश N 23° 14' 01.9" से N 23° 14' 21.5" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 79° 04' 01.5" से E 79° 04' 38.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं।

अनुसूची

जिला– सागर **तहसील – देवरी**
वनमंडल का नाम –दक्षिण सागर (सामान्य) **वन परिक्षेत्र – देवरी**

अ. क	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	मोरिया	मोरिया	छोटा घास, चरनोई (शासकीय भूमि)	275/4 276/4 275/5 276/5	 28.900 0.950	उत्तर – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 28 से 07 तक कृत्रिम वन सीमा पूर्व – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 07 से 12 तक कृत्रिम वन सीमा दक्षिण – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 12 से 21 तक कृत्रिम वन सीमा पश्चिम – प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 21 से 28 तक कृत्रिम वन सीमा
				योग :–	29.850	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 6-mpc069/2013-BHO/455 दिनांक 20.05.2015 एवं वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर का पत्र कमांक/मा.चि./2253 दिनांक 14.07.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग कमांक–1 जिला सागर म.प्र. की स्वीकृत परियोजना **सूरजपुरा जलाशय एवं जोलनपुर** जलाशय में प्रभावित 29.850 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकवा 29.850 हे. गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में 29.850 हे. कलेक्टर सागर के आदेश कमांक 12 एवं 40अ/ 19(3)2012–13 दिनांक 15.09.2014 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार देवरी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसराबार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।

(ब) सामुदायिक अधिकार :– उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–43–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–43–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No.F-25-43/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the state Government are pleased to Declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government form time to time. This Proposed Protected Forest Block Moriya lies between North Latitude N 23^0 14' 01.9" to N 23^0 14' 21.5" North Latitude and East Longitude E 79^0 04' 01.5" to E 79^0 04' 38.0" East Longitude.

SCHEDULE

District- Sagar **Tehsil- Deori**
Forest Division-South Sagar (territorial) **Range- Deori**

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
1	Moriya	Moriya	Chhota Ghas, Charnoi Govt. land	275/4 276/4 275/5 276/5	28.900 0.950	**North** – Proposed Protected Forest Block Pillar No. 28 to 7 Artificial Forest Boundry **East** – Proposed Protected Forest Block Pillar No. 07 to 12 Artificial Forest Boundry **South**— Proposed Protected Forest Block Pillar No.12 to 21Artificial Forest Boundry **West**- Proposed Protected Forest Block Pillar No.21 to 28 Artificial Forest Boundry
			TOTAL		**29.850**	

(A)Reason for publication of Notification :-

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Govt. of India's order no. 6-mpc069/2013-BHO/455 Bhopal dated 20.05.2015 & DFO South Sagar Letter No./2253 Dt. 14.07.2014 in lieu of 29.850 hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Surajpura Medium Project and Jolanpur Irrigation Project** of Executive Engineer Water Resource Division No. 1 sagar M.P. the above mentioned non forest land of 29.850 Hectare transferred or muted in favour of mp Government, Forest Department by Collector Sagar order no. 12 and 40A/19(3) 2012-13 Sagar Dated 15-09-2014 for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recored rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Deori are as under.

(a) **Rights of individuals :- Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights**
(b) **Rights of communities:- Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक एफ–25–44/2016/10–3 :: . भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें। यह वनखण्ड से छ 23^0 58' 48.0" से छ 23^0 59' 57.5" उत्तर अक्षांश तथा E 78^0 43' 46.5" से E 78^0 44' 23.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – सागर तहसील – सागर

वन मंडल – उत्तर सागर (सा.) वन परिक्षेत्र – उत्तर सागर

अनु. क.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	मढैया गौंड़	मढ़ैया गौड़	छोटा घांस, चरनोई	367/5, 367/4 319/1	20.00 10.81 14.19	उत्तर :– आर.एफ. 377 का मुनारा कमांक 478 से 471 तक की वन सीमा। पूर्व :– आर.एफ. 377 का मुनारा कमांक 471 से आर.एफ. 376 का मुनारा कमांक 466 तक की वन सीमा। दक्षिण :– आर.एफ. 376 का मुनारा कमांक 466 से नया मुनारा कमांक 6 तक की कृत्रिम सीमा। पश्चिम :– मुनारा कमांक 6 से आर.एफ. 377 के मुनारा कमांक 478 तक की कृत्रिम सीमा।
			Total:-		45.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 6–एम.पी.सी.032/2013–बी.एच.ओ./1036 दिनांक 19.05.2014, 6–एम.पी.सी.056/2012–बी.एच.ओ./1066 दिनांक 23.05.2014, 6–एम.पी.सी. 027/2013–बी.एच.ओ./1456 दिनांक 20.08.2014, व.म.अ. दक्षिण सागर की स्वीकृति का पत्र कमांक/290 दिनांक 28.01.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग कमांक–1 सागर की स्वीकृत परियोजना जलंधर, कंजेला, तोड़ा, खजुरिया जलाशय में प्रभावित 44.502 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 45.00 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 45.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश कमांक 71अ/19 (3) वर्ष 2011–12 दिनांक 23.08.2013 एवं 73अ/19 (3) वर्ष 2011–12 आदेश दिनांक 31.12.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश कमांक 71अ/19 (3) वर्ष 2011–12 दिनांक 23.08.2013 एवं 73अ/19 (3) वर्ष 2011–12 आदेश दिनांक 31.12.2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–44–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–44–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No. F-25-44/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23^0 58' 48.0" to N 23^0 59' 57.5" North Latitude and E 78^0 43' 46.5" to E 78^0 44' 23.5" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar **Tahsil - Sagar**

Forest Division – North Sagar (T) **Forest Range – North Sagar**

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Madhiya Gound	Madhiya Gound	Chhota Ghas, Charnoi	367/5, 367/4 319/1	20.00 10.81 14.19	North :- Forest Boundary of RF 377 Pillar No. 478 to 471. East :- Forest Boundary of RF 377 Pillar No. 471 to RF. 376 Pillar No. 466.. South :- Articifical Forest Boundary of RF 376 Pillar No. 466 to 6. West :- Articifical Forest Boundary of Pillar No. 6 to 478 RF 377.
			Total:-		45.00	

Reason for Publication of Notification:-

1) In accorcance with the condition laid down in the Ministry of Emnvironment and Forest Govt. of India's order . No. 6-MPC032/2013-BHO/ 1031 Dated 19-05-2014, 6-MPC056/2012-BHO/1066 Dated 23-05-2014, 6-MPC027/2013-BHO/1456 Dated 20-08-2014; DFO South Sagar Approved Let. No. 290 Dated 28-01-2014 and in lieu of 44.502 hactare of affected forest land order the sanctioned project of Jalandhar, Kanjala, Toda, Khajuria Tank of E.E.W.R.D. No. 1 Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 45.00 hectare transfered of muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 71A/19(3) Year 2011-12 Dated 23-08-2013 and 71A/ 19 (3) Year 2011-12 Date 31-12-2013 of Revunue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 71A/19(3) Year 2011-12 Dated 23-08-2013 and 71A/ 19 (3) Year 2011-12 Date 31-12-2013 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals :- There are not rights of individuals

(B) Rights of Communities :- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक एफ–25–49/2016/10–3 :: . भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें। यह वनखण्ड से N 23^0 53' 26.5" से N 23^0 53' 33.5" उत्तर अक्षांश तथा E 78^0 42' 10.0" से E 78^0 42' 19.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – सागर

तहसील – सागर

वन मंडल – उत्तर सागर (सा.)

वन परिक्षेत्र – उत्तर सागर

अनु. क.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	पगारा	पगारा	छोटा घांस,	567/2, 568/2	1.411 1.624	उत्तर :– आर.एफ. 366 का मुनारा कमांक 90 से नया मुनारा कमांक 1 तक की वन सीमा। पूर्व :– नया मुनारा कमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :– नया मुनारा कमांक 2 से आर.एफ 366 का मुनारा कमांक 93 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :– आर.एफ. 366 का मुनारा कमांक 93 से मुनारा कमांक 90 तक की वन सीमा।
			Total:-		**3.035**	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 6–एम.पी.बी 100/2007–बी.एच.ओ./155 दिनांक 15.01.2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर की स्वीकृत परियोजना पगारा जलाशय निर्माण में प्रभावित 2.45 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 3.035 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.035 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश कमांक/रि.क्ले./88/3966 दिनांक 19/20 अप्रैल 1988 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश कमांक/रि.क्ले/88/3966 दिनांक 19/20 अप्रैल 1988 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

एफ–25–49–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–49–2016–दस–3, दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No.F-25-49/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23^0 53' 26.5" to N 23^0 53' 33.5" North Latitude and E 78^0 42' 10.0" to E 78^0 42' 19.0" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar **Tahsil - Sagar**

Forest Division – North Sagar (T) **Forest Range – North Sagar**

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pagara	Pagara	Choota Ghas	567/2 568/2	1.411 1.624	North :- Forest Boundary Line of RF 366 Pillar No. 90 to New Pillar No. 1. East :- Artifical Forest Boundary Line of New Pillar No. 1 to 2. South :- New Pillar No. 2 to Forest Boundary Line of RF 366 Pillar No. 93. West :- Forest Boundary Line of RF 366 Pillar No. 93 to 90.
			Total:-		3.035	

Reason for Publication of Notification:-

1) In accorcance with the condition laid down in the Ministry of Emnvironment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPB100/2007-BHO/155 Dated 15-01-2009 and in lieu of 3.035 hactare of affected forest land order the sanctioned project of Pagara Tank of E.E.W.R.D. No. 1 Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 3.035 hectare transfered of muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No /Rev.Coll/88/3966 Dated 19/20 April 1988 of Revunue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No /Rev.Coll../88/3966 Dated 19/20 April 1988 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals :- There are not rights of individuals

(B) Rights of Communities :- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 अप्रैल 2016

क्र. 1982-भू-अर्जन-2016-प्र.क्र. 19ए-20-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में ग्राम **बजट्टा खुर्द प.ह.नं. 20,** तहसील **बड़वानी** जिला **बड़वानी** में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम : बजट्टा खुर्द, तहसील—बड़वानी

स. क्र.	विवरण	कुल रकबा (हेक्टेयर)				अर्जित रकबा (हेक्टेयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम : बजट्टा खुर्द	23.435	3.809	10.566	37.810	2.595	0.100	0.255	2.950

अनुसूची (2)

ग्राम : बजट्टा खुर्द प.ह.नं. 20, तहसील-बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है:

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ग्राम—बजट्टा खुर्द						
1	विजय पिता रूखडु जाति सिर्वी लोनसरा खुर्द.	14/2/2क 17/2/2क	1.182	0.040	—	—	0.040

स. क्रं	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
2	ललीताबाई पति मनोहर सिंह जाति ठाकुर निवासी बडवानी	15/2, 15/3, 16/1	0.749	—	—	0.015	0.015
		16/3	0.226	—	—	0.020	0.020
3	लुणा नानुराम शाताबाई ग्यारूबाई पिता मगा गंगाबाई बेवा मंगा जाति भारूड पता निवासी ग्राम लोनसरा बुजुर्ग भूमि स्वामी	15/4 16/5	0.279	—	0.100	—	0.100
4	धन्नालाल, उमलाबाई, तारूबाई, मीराबाई, गोरीबाई पिता बाबु, जाति भारूड़, निवासी–लोनसरा खुर्द	17/7	0.198	0.198	—	—	0.198
		19/4	0.032	0.032	—	—	0.032
5	अरूण, राधिका पिता नरेश जमनाबाई बेवा नरेश मीरादेवी बेवा ऊकार जाति जाट पता नि. ग्राम बजटाखुर्द भूमि स्वामी	20/2 20/3, 39/1	2.347	0.250	—	—	0.250
6	पन्नालाल पिता गोपाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम लोनसरा खुर्द	20/13 39/2	1.619	0.190	—	0.010	0.200
7	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविघालय जबलपुर द्वारा धारित कृषि विज्ञान केन्द्र पता निवासी ग्राम बजट्टा खुर्द	21/2 22/2, 23/2, 28	20.679	0.835	—	—	0.835
8	भानूप्रताप पिता ऊँकार गिताबाई पिता सातन जाति जाट पता निवासी ग्राम बजट्टा खुर्द भूमि स्वामी	30	3.303	0.270	—	—	0.270
9	बसतीलाल पिता गोपाल, जाति जाट, पता नि. ग्राम तलुनबुजुर्ग भूमि स्वामी	31/1 31/2	2.263	0.250	—	—	0.250
10	कृष्णा पिता नानुराम, जाति भारूड़, निवासी–तलुन बुजुर्ग	33/3	0.101	0.070	—	—	0.070
11	महेन्द्र पिता नत्थु, जाति सुतार पता निवासी ग्राम तलुन बुजुर्ग भूमि स्वामी	40/1	0.809	0.170	—	—	0.170

निरन्तर.....

स. कं	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
12	बिना बाई बेवा नत्थु, जाति सुतार, पता सा तलुन बुजुर्ग भूमि स्वामी	40/2	0.405	0.040	—	—	0.040
13	राधेश्याम पिता नत्थु जाति सुतार, पता सा तलुन बुजुर्ग भूमि स्वामी	40/3	0.729	0.220	—	—	0.220
14	अनिल पिता नत्थु, जाति सुतार, पता सा तलुन बुजुर्ग भूमि स्वामी	40/4	0.728	—	—	0.200	0.200
15	पन्नालाल पिता घीसा, जाति सिवी, पता निवासी ग्राम लोनसरा खुर्द भूमि स्वामी	41	2.161	0.030	—	0.010	0.040
	योग		37.810	2.595	0.100	0.255	2.950

नोटः— 1. भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू–अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक–11 बड़वानी के कार्यालय कें कार्यालीन समय में किया जा सकता है।

2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू–अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नही करेगा।

3. सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा–6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।

4. भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक–30 सन् 2013) की धारा–10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नही होंगे।

5. इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षैत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्व व्यक्ति धारा–15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू–अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।

6. समुचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

बड़वानी, दिनांक 23 मई 2016

क्र. 2424-भू-अर्जन-2016-
प्रकरण क्रमांक 223-अ-82/15-16 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनूसुची क्रमांक 1 ग्राम **काकरिया**, तहसील **ठीकरी** के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की कुआ वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु आवश्यक वर्णित भुमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पूनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन में अचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमिकी अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

// अनुसूची (1)//

ग्राम :– काकरिया						तहसील :– ठीकरी			
स.क्र.	विवरण	कुल रकबा (हेक्टयर)				अर्जित रकबा (हेक्टयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम :– काकरिया	30.532	21.587	1.185	53.304	9.687	11.744	1.014	22.445

// अनुसूची (2)//

ग्राम काकरिया, तहसील–ठीकरी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की कुआ वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है।

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टयर)	अर्जित रकबा (हेक्टयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कनीबाई पति रूधनाथ भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	45/1/5	1.085	0.100	0.300	0.030	0.430
2	शंकर पिता भुरला भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	45/1/3	1.275	0.330	-	0.050	0.380
3	राधुबाई पति धना भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	45/1/2/2	0.932	0.753	-	0.007	0.760
4	साईदाबाई पति भुवान भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	45/1/4	1.112	0.185	-	0.100	0.285
5	भंगड़ा पिता भिल्या भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	159/1/2/क 159/2/1/क 161/5/क	0.166	-	0.166	-	0.166
		158/1/6/क	0.300	-	0.110	-	0.110
6	दितया पिता भील्यां जाति भीलाल नि.ग्राम भू-स्वामी	158/1/6/ख	0.217	-	0.140	-	0.140
		159/1/2/ख 159/2/1/ख 161/5/ख	0.190	-	0.190	-	0.190

7	विश्राम पिता भिल्या भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	158/1/6/ग	0.242	-	0.180	-	0.180
		159/1/2/ग	0.288	-	0.288	-	0.288
		159/2/1/ग					
		161/5/ग					
8	गोविन्द बुदन पिता जामसिंह भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	159/1/3	1.214	-	0.150	-	0.150
		159/2/2					
		160					
		161/6					
9	रेमसिंग पिता रूपसिंग भीलाला सा.देह भू स्वामी	158/1/7/क/3	0.101	-	0.101	-	0.101
10	छगन, जगन, गजेन्द्र, शोभाराम, लिलाबाई, सुमनबाई, रायकुबाई, लाडकीबाई पिता बुटिया, सोनाबाई बेवा बुटिया, भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	128/2,	0.809	-	0.360	-	0.360
		130/1/1					
		158/1/8	0.837	-	0.510	-	0.510
		158/1/5	0.518	0.005	-	-	0.005
11	विश्राम पिता रायसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	161/12	0.065	-	0.010	-	0.010
		215/4	0.096	0.040	-	-	0.040
12	कोलु पिता पिल्ला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	165/1/1/1	0.122	0.075	-	0.002	0.077
	सीताराम पिता पिल्ला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	165/1/1/2	0.121	0.076	-		0.076
14	प्रताप पिता पिल्ला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	165/1/1/3	0.121	0.077	-		0.077
15	छगन पिता फाटला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	165/1/2	0.368	0.253	-		0.253
16	रूगनाथ पिता फाटला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	165/2/1	0.352	0.280	-		0.280
17	विश्राम पिता भावला, भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	165/2/2/1	0.119	0.090	-		0.090
18	नारायण पिता भावला, भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	165/2/2/2	0.119	0.090	-		0.090
19	शंकर पिता गावला, भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	165/2/2/3	0.118	0.090	-		0.090
20	हीरा पिता मंगल्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	166/7	0.906	-	0.380		0.380
		166/9/6	0.239	-	0.030		0.030
		175/1/4	0.171	-	0.071	0.100	0.171
21	बदिया पिता दिपु भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	166/8/1	0.486	0.150	-		0.150
		168/2/3	0.073	-	0.005		0.005
		175/1/1	0.170	0.170	-		0.170
		175/1/3	0.219	-	0.219		0.219
22	फुलसिंग पिता दिपु भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	166/8/2	0.346	0.184	-	0.006	0.190
		166/10/2	0.344	0.175	-		0.175
		168/2/4	0.049	-	0.010		0.010
		175/1/2	0.101	-	0.101		0.101
23	केरिया पिता दलसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	166/9/4	0.121	0.121	-		0.121
		166/10/1	0.344	0.182	-		0.182
24	लक्ष्मीबाई पति फूलसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	166/9/5	0.235	0.235	-		0.235

25	दारक्या पिता छीपु भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	166/11	0.744	0.200	0.186	-	0.386
		168/2/5	0.372	-	0.140		0.140
		176/1	1.473	0.780	-		0.780
		175/1/5	0.765		0.308	0.307	0.615
26	गीताबाई बेवा नूरेसिंह भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	167/3/1	0.060	-	0.060	-	0.060
27	सुरत्या पिता बिसन भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	167/3/2	0.060	-	0.060	-	0.060
		130/3/1	0.663	-	0.035	-	0.035
		132/1					
28	हीरा पिता केशरिया भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	167/3/3	0.060	-	0.060	-	0.060
29	रायसिंग पिता गुरेसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	167/3/4	0.034	-	0.034	-	0.034
		218/1/4/3	0.170	0.020	-	-	0.020
		218/1/9/3	0.102	-	0.102	-	0.102
30	माधव पिता रायसिंग जाति भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	167/4/1	0.097	-	0.075	-	0.075
		168/3/1					
		110/1	0.101	-	0.101	-	0.101
		119/6					
31	रमेश पिता दशरथ भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/1/8/क/1	0.190	0.030	-	-	0.030
		167/4/4/1	0.050	0.050	-	-	0.050
		168/3/4/1					
32	रेसिंग पिता रतन भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/7/4	0.103	0.010	-	-	0.010
		213/3	0.870	0.300	-	-	0.300
		215/1/1	0.195	-	0.130	-	0.130
		167/4/2	0.101	-	0.075	-	0.075
		168/3/2					
33	जलाल पिता रूमाल भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	167/4/3	0.097	-	0.075	-	0.075
		168/3/3					
34	मुकेश पिता दशरथ भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	167/4/4/2	0.047	-	0.047	-	0.047
		167/3/4/2					
35	शेरु पिता छोट्या, जगदिश, संतोष, जितेन्द्र पिता हंसराज, केसरबाई बेवा हंसराज, ओंकार पिता मोहन, शाहाबाई बेवा मोहन, भुवान पिता छोट्या भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	167/4/5	0.097	-	0.075	-	0.075
		168/3/5					
36	फुलसिंग पिता दरियाव भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	167/4/6	0.097	-	0.075	-	0.075
		168/3/6					
		218/1/8/ख/3	0.126	-	0.105	-	0.105
37	रेवाराम पिता मालसिंग, भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	146/15	0.190	-	0.020	-	0.020
38	सुकलाल पिता आपसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	230/7	0.073	0.020	-	-	0.020
39	ऐसिंग रूखडिया दितला पिता खुमसिंग बुदीबाई बेवा खुमसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	230/11	0.215	0.040	-	-	0.040

40	ग्यारसीबाई पत्नी मालसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	230/10	0.121	0.050	-	-	0.050
41	रामसिंग पिता गोटिया भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	230/12	0.467	0.050	-	-	0.050
42	धुलीबाई बेवा शेरसिंह भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	218/1/4/4	0.170	0.090	-	-	0.090
		130/3/3	0.150	-	0.150	-	0.150
		132/3					
43	जुवानसिंग मगन जगन मगा पिता बद्या मडीबाई बेवा बद्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/1/5/1	0.765	0.500	-	-	0.500
44	पिडिया, दरबार पिता छगन, सकरीबाई बेवा छगन, नानुराम, बाथु, दमडिया, जालमसिं, भुवान पिता गटल्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/1/5/2	0.765	0.292	0.080	-	0.372
		218/1/10/1	0.110	-	0.055	0.055	0.110
		117	0.109	-	0.109	-	0.109
		116/2	0.263	-	0.160	-	0.160
45	साहबाई बेवा मोहन ऊँकार पिता मोहन भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/1/6/ख/3	0.069	-	0.005	-	0.005
46	केसरबाई बेवा हंसराद भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	215/3/2	0.112	0.112	-	-	0.112
47	ध्यानसिंग पिता भुरेसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/1/9/2	0.103	-	0.103	-	0.103
48	ठाकुर पिता केशरिया भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/1/9/1	0.240	-	0.180	-	0.180
49	रुकमाबाई बेवा बाला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/1/8/ख/1	0.127	-	0.060	-	0.060
50	मेहताब पिता दरियाव भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/1/8/ख/2	0.127	-	0.050	-	0.050
51	बंशीलाल पिता रतन भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/7/3	0.103	0.030	-	-	0.030
		215/1/2	0.166	0.090	-	-	0.090
		119/5	0.389	-	0.389	-	0.389
52	जयराम पिता रायसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/15	0.072	0.036	-	0.036	0.072
		119/4	0.101	-	0.101	-	0.101
53	सदु पिता रायसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	218/14	0.203	-	0.102	-	0.102
54	मीरा बेवा बावल्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	216/1/1	0.121	0.121	-	-	0.121
55	विश्राम पिता झेतरिया नि.ग्राम भू स्वामी	216/1/2	0.122	-	0.030	-	0.030
56	माध्या पिता लटिया भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	216/2/1	0.160	0.110	-	-	0.110
57	बुदन पिता लटिया भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	216/2/2	0.290	0.055	-	-	0.055
58	रेवाराम पिता शेरू भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	215/3/1/1	0.055	0.055	-	-	0.055
59	दौलत पिता शेरू भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	215/3/1/2	0.056	0.056	-	-	0.056
60	विश्राम पिता मालसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	146/14	0.190	-	0.041	-	0.041
61	शिवराम पिता गंगाराम भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	190/1	0.526	0.300	-	-	0.300
		146/2/1	0.131	-	0.090	-	0.090
		146/3/1					

			0.546	0.005	-	-	0.005
62	शेरू पिता छोटया भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	190/2					
		188	0.324	-	0.150	-	0.150
63	प्यारसिंग पिता भुवान सिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	146/5	1.215	0.450	-	-	0.450
		146/4	0.360	-	0.180	-	0.180
64	जुवानसिंग पिता फकीरा भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी	195/2					
65	भीलु पिता फकीरा पिता फकारा, भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	146/11	0.282	-	0.060	-	0.060
		195/2/1					
		146/16	0.190	-	0.020	-	0.020
66	मगन पिता पिता फकीरा, भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	146/12	0.282	-	0.060	-	0.060
		195/2/2					
67	सादु पिता गंगाराम भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	146/2/3	0.331	-	0.150	-	0.150
		146/3/3					
68	कालु पिता गंगाराम भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	146/2/2	0.131	-	0.131	-	0.131
		146/3/2					
69	झुगरीबाई पति नरसिह जाति भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	195/1/3	0.409	-	0.040	-	0.040
70	तेरसिंग पिता लालसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	145/2/2	0.809	-	0.420	-	0.420
71	तेरसिंग पिता बिसन भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	158/1/7/ख	0.113	-	0.113	-	0.113
72	सुरपाल पिता जागसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	130/5	0.409	-	0.175	0.175	0.350
73	हरलाल पिता गंगा भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	133	0.304	-	0.170	-	0.170
74	ध्यानसिंग पिता भुरेसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	130/3/4	0.170	-	0.100	-	0.100
		132/4					
75	गीनाबाई बेवा भुरेसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	130/3/2	0.150	-	0.100	-	0.100
		132/2					
76	टेडा पिता मोहन वेचान पिता गमला डोगरिया पिता सुगला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	131	0.514	-	0.200	0.030	0.230
77	पर्वत पिता देवचन्द बलाई नि.ग्राम भू स्वामी	126/6	0.049	-	0.049	-	0.049
		126/4	0.063	-	0.030	-	0.030
78	मांगीलाल पिता देवचंद बलाई नि.ग्राम भू स्वामी	126/7	0.024	-	0.024	-	0.024
		126/1	0.073	-	0.020	-	0.020
79	आशाराम पिता देवचन्द बलाई नि.ग्राम भू स्वामी	126/5	0.056	-	0.056	-	0.056
80	शोभाराम पिता कोरजी, मनोहर, मुकेश पिता हरचन, सुमनबाई, कंचनबाई पिता हरचन बलाई नि.ग्राम	126/3	0.235	-	0.050	-	0.050
		115/1	0.320		0.075	-	0.075
81	काशीराम पिता गोपाल बलाई नि.ग्राम भू स्वामी	126/2	0.279	0.270	-	0.009	0.279
		119/2	0.162	-	0.162	-	0.162
82	भुवानसिंग पिता सतीया भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	128/5	0.610	-	0.180	-	0.180

		120	0.081	0.081	-	-	0.081
83	मांगीलाल, मोतलवाई, नीलाबाई पिता गणपत कैलाश, रवि, कोमल, अनिता पिता दुलीचन्द, कुसुमबाई बेवा दुलीचन्द बलाई, नि. ग्राम भू-स्वामी	118	0.020	0.020	-	-	0.020
			0.299	0.200	0.099	-	0.299
		121					
84	रूखाडेया पिता धनसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	111/3	0.344	-	0.110	-	0.110
		119/3					
85	मदना पिता फकीरा, भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	146/13	0.282	-	0.075	-	0.075
		195/2/3					
		146/17	0.190	-	0.018	-	0.018
86	नारायण पिता बंशीलाल भीलाला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	92/1/1	0.267	0.125	-	-	0.125
87	शिवराम पिता बंशीलाल भीलाला भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	92/1/2	0.267	0.010	-	-	0.010
88	अगोबाई पति नारायण भीलाला भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	92/2/1	0.364	0.300	-	0.064	0.364
		94/1	0.178	-	0.085	-	0.085
89	कमूबाई पति मेहताब भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	92/2/3	0.030	0.030	-	-	0.030
90	दशरथ पिता धना भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	92/2/2	0.064	0.050	-	-	0.050
		88/1	0.126	0.110	-	-	0.110
91	नाहारसिंग पिता गोत्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	92/3	0.089	0.015	-	-	0.015
		88/2	0.032	-	0.032	-	0.032
92	नानबाई पति फुलसिंग भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	87/1	0.303	-	0.190	-	0.190
93	तेजलबाई पति मगल्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	87/2	0.304	-	0.170	-	0.170
		1/4	0.384	-	0.300	-	0.300
		5/2					
		7/2					
94	नवलसिंह, दौलतसिंह, रामसिंह, रघुनाथ, परमानन्द, रानुबाई, सुन्दरबाई, गेंदाबाई पिता हावडा भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	86	0.809	-	0.020	-	0.020
95	श्याणीबाई बेवा गंगत्या, बौंदर, कैलाश पिता छगन, रड़वी पिता भीमा, बावरिया पिता रामा, रामा, कोल्या पिता उमराव झिपु पिता मदन, कालु, मांगीलाल पिता मुनस्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	3/3	1.295	-	0.140	-	0.140
		6					
96	मोहन पिता सुकल्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	1/3/1	0.226	-	0.081	-	0.081
		4/1/1					
		5/1/1					
97	शान्तीलाल पिता सुकल्या भीलाला नि.ग्राम भू स्वामी	1/3/2	0.233	-	0.085	-	0.085
		4/2/2					
		5/1/2					

98	धनसिंह पिता ओंकारसिंह हिरला माग्या कास्या मड्या सुसल्या पिता गणपत सुकाबाई बेवा गणपत बनाबाई अनीबाई कनीबाई पिता गणपत, नि. काकरीया, रूपसिंग गुलाबसिंह गजानन्द जगन्नाथ चम्पाबाई केसरबाई पिता भावसिंग बंशीबाई बेवा भावसिंग नि.बलगॉव भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	1/2 3/2 7/3	0.510	-	0.300	-	0.300
99	बालीबाई पति पुना भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	45/1/1	0.910	0.270	-	0.003	0.273
100	सायरीबाई पति जुवानसिंग भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	45/4	1.499	-	0.121	-	0.121
101	मडीबाई पति बदिया भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	45/3	1.455	-	0.142	-	0.142
102	जुवानसिंग पिता वेसु भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	45/2	1.359	-	0.150	-	0.150
103	थावलीबाई पति रेमसिंग भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	44/28	0.486	-	0.025	-	0.025
104	रूघनाथ पिता मुनस्या भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	44/27	0.500	-	-	0.020	0.020
		44/3	0.190	-	0.010	-	0.010
105	मंगन पिता मुनस्या भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	44/26	0.500	-	-	0.020	0.020
		44/4	0.160	-	0.010	-	0.010
106	मांगीलाल पिता मुनस्या भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	44/1	0.160	-	0.049	-	0.049
107	ध्यानसिंग पिता दवला भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	44/12	0.200	-	0.018	-	0.018
108	जगन्नाथ पिता मुनस्या भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	44/2	0.100	-	0.010	-	0.010
109	मंगल्या पिता धना भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	17/1/1/1/1/ख/1/1 40/8	0.680	0.390	-	-	0.390
110	मांगीलाल पिता बिलमण भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	16/5	0.607	0.263	-	-	0.263
111	सीताबाई पति मांगीलाल भीलाला नि.ग्राम भू-स्वामी	16/1	1.165	0.040	-	-	0.040
	योग		**53.304**	**9.687**	**11.744**	**1.014**	**22.445**

नोट:-

1. भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना नहरें बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-14, ठीकरी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों के पूर्ण हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा।
3. सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उप धारा-2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होगें।

5. इस प्रारम्भिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

6. समुचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 6 जून 2016

क्र 359–भू-अर्जन–16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला	खरगोन
(ख) तहसील	सनावद
(ग) ग्राम	टाकली
(घ) लगभग क्षेत्रफल	5.254 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	215/1	0.073	12	266/1	0.179
2	215/3	0.203	13	266/2	0.146
3	215/4	0.303	14	267/1	0.210
4	215/5	0.384	15	267/2	0.154
5	216/2	0.012	16	268	0.922
6	216/3	0.178	17	250/2	0.101
7	216/5	0.385	18	272	0.202
8	216/6	0.089	19	271	0.170
9	217/2	0.137	20	270	0.219
10	252	0.422	21	215/2	0.097
11	265	0.603	22	214/2	0.065
योग	-	-	-	**22**	**5.254**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 360–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — गोराडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 0.853 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	4	0.549
2	8/1	0.280
3	8/2	0.024
योग	3	0.853

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :– खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड़।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 361–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — बिराली
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 1.815 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	167/1	0.308	10	209	0.012
2	171/1	0.097	11	177/6	0.020
3	171/2	0.069	12	189	0.210
4	173/1	0.032	13	190	0.162
5	173/2	0.069	14	13/1	0.068
6	173/4	0.050	15	14/1	0.038
7	173/12	0.024	16	8/1	0.020
8	177/1	0.081	17	13/4	0.004
9	187	0.551	-	-	-
योग	-	-	-	17	1.815

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि)ः–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 362–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला	खरगोन
(ख) तहसील	सनावद
(ग) ग्राम	बालाबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.416 हेक्टर

क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	77	0.081
2	78/2	0.077
3	79	0.162
4	80	0.020
5	85/6	0.020
6	91/2	0.014
7	91/4	0.014
8	116/1	0.028
योग	8	0.416

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि)ः–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 363–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला – खरगोन
(ख) तहसील – सनावद
(ग) ग्राम – ढकलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल – 2.251 हेक्टर

क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	858	0.190	9	1178/2	0.125
2	1086/7	0.024	10	1179/2	0.170
3	1086/8	0.170	11	1180/1	0.119
4	1087/1	0.235	12	1181/2	0.214
5	1134	0.036	13	1181/3	0.083
6	1136	0.708	14	851/5	0.020
7	1164/1	0.048	15	875/2	0.012
8	1177/9	0.097	-	-	-
योग	-	-	-	**15**	**2.251**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 364-भू-अर्जन-16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — तमोलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 0.380 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	204/1	0.154
2	209/2	0.210
3	207	0.016
योग	3	0.380

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :– खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड़।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 365–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — भोगावां निपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 3.754 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	256/8	0.021
2	257	0.024
3	258/1	0.841
4	259	0.368
5	260/5	0.413
6	263/2	1.149
7	264/2	0.260
8	264/1	0.220
9	258/2	0.458
योग	9	3.754

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि)ः–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 366–भू-अर्जन–16.— चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — चमारदड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 0.010 हेक्टर

क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	31/19	0.010
योग	1	0.010

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :– खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 367–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — मोखनगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 5.028 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	23/9	0.316	13	103/3	0.133
2	31	0.283	14	104	0.211
3	43	0.109	15	110/11	0.055
4	45/1	0.255	16	110/12	0.092
5	47	0.272	17	78/4	0.024
6	78/2	0.061	18	77	0.012
7	78/3	0.109	19	109/1	0.060
8	78/5	0.144	20	109/2	0.121
9	78/7	0.234	21	109/3	0.162
10	78/8	0.004	22	109/4	0.113
11	87	0.178	23	23/6	0.263
12	103/1	0.153	24	23/12	0.247

क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
25	23/11	0.259	31	144	0.022
26	23/2	0.111	32	103/4	0.048
27	142/2	0.218	33	118/1	0.076
28	142/1	0.101	34	117/1	0.024
29	108/1	0.211	35	117/2	0.303
30	145	0.014	36	115	0.030
योग	-	-	-	**36**	**5.028**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :– खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपयें 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दीं जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 368-भू-अर्जन-16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — खानपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 9.573 हेक्टर

क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	32	0.733	12	44	0.688
2	33/1	0.384	13	45/1	0.164
3	33/2	0.214	14	45/2, 46/1	0.357
4	33/7	0.494	15	51/1	0.417
5	33/9	0.474	16	33/11	0.793
6	34/1	0.413	17	33/3	0.263
7	34/3	1.052	18	57/4	0.089
8	38/2	0.889	19	57/1	0.113
9	38/3	0.134	20	38/1	0.121
10	39/1	0.425	21	46/2	0.469
11	39/2	0.668	22	51/5	0.219
योग	-	-	-	**22**	**9.573**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 369–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला	खरगोन
(ख) तहसील	सनावद
(ग) ग्राम	बागदा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल	1.812 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	15/3	0.445
2	66	0.020
3	69/1	0.450
4	69/3	0.299
5	69/5	0.401
6	69/6	0.149
7	69/7	0.048
योग	7	**1.812**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1–. वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 370–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला	खरगोन
(ख) तहसील	सनावद
(ग) ग्राम	आरसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.111 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	84/1	0.061
2	204/2	0.050
योग	2	**0.111**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 371-भू-अर्जन-16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क)	जिला	खरगोन
(ख)	तहसील	सनावद
(ग)	ग्राम	ढसगांव
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	0.243 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	147/4	0.037
2	148	0.101
3	149/4	0.105
योग	3	0.243

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 372–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — डाल्याखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 11.048 हेक्टर

क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	178/1	0.814	14	219/2	0.340
2	179	0.684	15	220/1	0.409
3	180/1,180/8,180/9	0.108	16	220/2	0.506
4	180/3	0.174	17	220/3	0.142
5	180/4	0.045	18	220/5	0.146
6	180/10	0.445	19	221/1	0.235
7	181/1	0.760	20	224	0.437
8	185/1,185/2, 185/3	0.368	21	225/1	1.308
9	185/7	0.536	22	218/1	0.162
10	188	0.219	23	178/2	0.413
11	209	0.850	24	186/1	0.737
12	210	0.728	25	186/3	0.041
13	219/1	0.441	-	-	-
योग	-	-	-	**25**	**11.048**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 373-भू-अर्जन-16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची । में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन धेनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एं र्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि, अर्जन, पुनर्वासन औ र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 क धारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोज लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — भातुड
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 8.060 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	7/2	0.207	14	29/4	0.347
2	8/2	0.339	15	56/9, 56/11, 56/13	0.525
3	8/7	0.478	16	56/16	0.045
4	9/3	0.154	17	57/2, 57/3, 57/6	0.361
5	10/1	0.738	18	58/2	0.073
6	10/2	0.603	19	64/1	0.619
7	10/3	0.141	20	8/6	0.024
8	10/4	0.138	21	8/3	0.008
9	11/1	0.232	22	10/5	0.024
10	11/2	0.202	23	11/3	0.081
11	27/1, 27/2, 28	2.267	24	65/2	0.008
12	29/1	0.272	25	29/6	0.004
13	29/3	0.170	-	-	-
योग	-	-	-	**25**	**8.060**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरीं के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 374-भू-अर्जन-16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — बैडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 2.451 हेक्टर

क्रमांक	खसरा न0	रकबा(हे0 में)	क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	403	0.101	18	571/2	0.120
2	579/1	0.074	19	571/7	0.087
3	638/1	0.203	20	561	0.097
4	638/2	0.008	21	583	0.069
5	202/1	0.101	22	584	0.041
6	642/1	0.053	23	585	0.085
7	642/2	0.069	24	524/2	0.020
8	643/3	0.081	25	524/3	0.073
9	578/2	0.096	26	524/4	0.150
10	578/3	0.062	27	524/5	0.138
11	578/4	0.127	28	559/3	0.073
12	579/2	0.057	29	559/2	0.081
13	579/3	0.054	30	559/1	0.056
14	580/1	0.075	31	578/1	0.004
15	571/1	0.040	32	580/2	0.080
16	571/3	0.020	33	586	0.008
17	571/4	0.048	-	-	-
योग	-	-	-	**33**	**2.451**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 375-भू-अर्जन-16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला	खरगोन
(ख) तहसील	सनावद
(ग) ग्राम	भोपालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.489 हेक्टर

क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	73/1, 73/2	0.202
2	72/1	0.085
3	72/5	0.202
योग	3	0.489

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु क्रमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होंगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 376–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — भुगदड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 5.587 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	38/2	0.551	11	47	0.166
2	40/1	0.355	12	48/3	0.518
3	40/2	0.357	13	57	0.562
4	41/1	0.214	14	58/1	0.444
5	41/2	0.514	15	48/7	0.028
6	41/3	0.364	16	48/2	0.253
7	41/5	0.206	17	48/5	0.080
8	42	0.441	18	56	0.020
9	45/5	0.251	19	60/1	0.024
10	45/1,46/1	0.158	20	48/1	0.081
योग	-	-	-	**20**	**5.587**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेंगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 377–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला	खरगोन
(ख) तहसील	सनावद
(ग) ग्राम	भानबरड
(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.093 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	206/1	0.073
2	206/2	0.020
योग	2	**0.093**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 378-भू-अर्जन-16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — बोदगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल — **2.767** हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	19/1	0.113	11	184	0.073
2	21/1	0.133	12	230	0.250
3	23/1	0.134	13	244/5	0.113
4	24/1	0.073	14	251/1	0.331
5	24/2	0.109	15	263/1	0.174
6	24/5	0.324	16	245/1	0.142
7	28/3	0.194	17	242/6	0.081
8	167,168,173	0.097	18	251/3	0.170
9	174/1	0.090	19	22/1	0.004
10	174/2	0.155	20	34/18	0.007
योग	-	-	-	**20**	**2.767**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लियें प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वास्वन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 379–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — बागदा बुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 1.092 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0में)
1	2	3	4	5	6
1	3/2	0.012	8	34/4	0.041
2	3/5	0.304	9	35	0.101
3	8/3	0.048	10	39/5	0.020
4	10	0.084	11	48	0.150
5	16	0.085	12	49	0.116
6	34/1	0.003	13	50	0.124
7	34/2	0.004	-	-	-
योग	-	-	-	**13**	**1.092**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 380–भू–अर्जन–16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — भगोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल — 1.138 हेक्टर

कमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	22/1	0.385
2	23/1	0.125
3	25,26	0.263
4	30/1	0.122
5	30/2	0.203
6	22/2	0.040
योग	6	1.138

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र 381-भू-अर्जन-16.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णनः–

(क) जिला — खरगोन
(ख) तहसील — सनावद
(ग) ग्राम — बमनगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल — **2.455** हेक्टर

क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)	क्रमांक	खसरा न0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	21/3	0.137	12	250/4	0.098
2	22	0.130	13	28/3	0.045
3	23/2	0.161	14	251/2	0.032
4	24/2	0.122	15	27	0.101
5	204/1	0.113	16	233	0.141
6	235	0.270	17	239/1	0.030
7	238/7	0.163	18	239/2, 239/3	0.112
8	238/8	0.073	19	239/4	0.142
9	238/9	0.073	20	237/4	0.121
10	242	0.093	21	264/4	0.018
11	245/1	0.179	22	264/6	0.101
योग	-	-	-	**22**	**2.455**

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :–	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः–

कार्य योजना के बिंदु कमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।

5– सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–

(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– प्रशिक्षणः–

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जावेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 18 अप्रैल 2016

नस्ती क्र. 26-एल. ए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013" की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा तरफ माली.	1.494	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 28-एल. ए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र. 15-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4 दिनांक 17 फरवरी 2016 प्रस्तुत कर खंण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013" (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल है. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	79	नागचून	7.82	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 19 अप्रैल 2016

नस्ती क्र. 27/एल. ए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र. 11-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4 दिनांक 17 फरवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013'' (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल है. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	80	खण्डवा तरफ कुनबी	0.351	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 25/एल. ए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र. 13-अ-82-2015-16.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर-डब्ल्यू-335-4 दिनांक 17 फरवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013'' (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल है. मे.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	95	मालीपुरा	7.37	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 24/एल. ए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र. 14-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013" की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	बडगांव भीला	4.22	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 2 मई 2016

प्र. क्र. 11-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उटीला	संलग्न सूची अनुसार रकवा (12.210) है. कुल रकवा 12.210	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(2) सर्वे नबंरान एवं रकवा की सूची संलग्न है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

फार्म एक(3)

ग्राम-उटीला, प.ह.नं. 61, तह. ग्वालियर, जिला ग्वालियर
हर्सी उच्चस्तरीय नहर की कि. मी. 71.38 से 102.40 तक एवं डिस्ट्री./माइनर के निर्माण
हेतु आने वाली निजी भूमि का विवरण (प्रस्ताव)

स. क.	नहर का नाम	सर्वे क्र.	कुल रकबा	नहर में आने वाली अर्जित भूमि का रकबा (हेक्ट. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हर्सी उच्चस्तरीय नहर/आरोली डिस्ट्री./आरोली आर माइनर.	1342	0.627	0.010	निजी भूमि
2		1288	0.752	0.209	
3		1293	2.602	0.042	
4		1275	1.588	0.345	
5		1274	0.178	0.021	
6		1265	1.379	0.167	
7		1283	0.481	0.272	
8		1340	1.839	0.324	
9		1286	1.317	0.543	
10		1276	0.543	0.01	
11		1261	0.418	0.073	
12		1220	0.752	0.261	
13		1221/1	0.125	0.125	
14		1214	0.92	0.115	
15		1164/1	0.261	0.125	
16		1171/1क	0.105	. .	
17		1164/2	0.282	. .	
18		1171/2	0.115	. .	
19		1816 Min 2	0.418	0.136	
20		1817/ 4 min1	0.157	. .	
21		1219	0.209	0.209	
22		1170/1	0.094	0.094	
23		1817/1	0.345	0.010	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	हर्सी उच्च स्तरीय नहर/आरोली डिस्ट्री./आरोली आर माइनर.	1170/2 min 2	0.084	. .	निजी भूमि
25		1249/1 ka	0.522	0.362	
26		1824/3 ka	0.199	. .	
27		1171/1 kha	0.125	0.125	
28		1174	0.418	0.136	
29		1175	0.397	0.063	
30		1765/2	0.219	0.073	
31		1768/2	0.543	0.115	
32		1788 min 1	5.163	0.042	
33		1360	0.972	0.01	
34		1291/1	0.711	0.072	
35		1361/1	0.460	0.240	
36		1361/2	0.627	0.021	
37		1185	1.390	0.366	
38		1153/2	0.509	0.063	
39		1179/2/1	0.293	. .	
40		1221/2	0.564	0.042	
41		1817/2	0.345	0.136	
42		1249/3	1.139	. .	
43		1824/1	0.721	. .	
44		1817/3	0.418	. .	
45		1249/2	1.149	. .	
46		1824/2	0.878	. .	
47		1249/1 kha	0.628	. .	
48		1824/3 min kha	0.198	. .	
49		1825/1	0.500	0.042	
50		1824/3 min 2	0.292	. .	
51		1170/3 min	0.84	. .	
52		1824/4	1.191	0.230	
53		1817/4 min 1	0.157	. .	
54		1291/2	0.355	0.105	
55		1303 min 1	0.460	0.345	
56		1304/1	0.429	0.042	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	हर्सी उच्च स्तरीय नहर/आरोली डिस्ट्री./आरोली आर माइनर.	1305/1	0.752	0.251	निजी भूमि
58		1305/2	0.188	0.188	
59		1306	0.930	0.376	
60		1310 min 1	0.31	0.7	
61		1310 min 3	0.303	. .	
62		1310 min 2	0.011	. .	
63		1310 min 4	0.010	. .	
64		1310 min 5	0.29	. .	
65		1310 min 9	0.209	. .	
66		1310 min 6	0.301	. .	
67		1310 min 7	0.303	. .	
68		1310/8 min	0.301	. .	
69		1310 min 11	0.251	. .	
70		1310/10 min	0.301	. .	
71		1310/12 min	0.229	. .	
72		1300	0.627	0.209	
73		1179/1	0.554	0.219	
74		1178	0.031	0.021	
75		1177	1.16	0.178	
76		1302	0.690	0.261	
77		1301	0.345	0.010	
78		1289	0.481	0.01	
79		1290	0.355	0.031	
80		1260 min 1	0.523	0.084	
81		1260 min 2	0.199	. .	
82		1262 min 1 kha	0.104	0.125	
		1715	1.473	0.209	
83		1816 min 1	0.125	. .	
84		1150	1.306	0.282	
85		1341	1.035	0.314	
86		1710/3	0.439	0.230	
87		1764/3	1.119	0.314	
88		1717	0.397	0.105	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
89	हर्सी उच्च स्तरीय नहर/आरोली डिस्ट्री./आरोली आर माइनर.	1718/2 min 5	0.502	0.439	निजी भूमि
		1718/1			
90		1745/1	0.209	. .	
91		1718/2 min 3	0.314	. .	
92		1718/2 min 4	0.209	. .	
93		1734	0.397	0.094	
94		1718/2 min 1	0.167	. .	
95		1718/2 min 2	0.564	. .	
96		1745/2 min 1	0.648	0.564	
97		1738 min 1	0.157	0.157	
98		1738 min 2	0.480	0.198	
99		1282	0.794	0.314	
100		1186	0.314	0.314	
101		1187	0.397	0.031	
102		1735	0.303	0.209	
103		1741/1	0.073	0.01	
104		1173	0.825	0.042	
				योग . . 12.210	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 26 मई 2016

क्र. 2481-10-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	अनूपपुर	अगरियानार	19/4	0.202	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र.).	ताराडांड़ जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.
			22/1/3	2.023		
			कुल योग . .	2.225		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म. प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण, किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 1 जून 2016

क्र. 3405-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपाबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त (11 एवं 12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	बांधवगढ़	भनपुरा	59.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	भनपुरा जलाशय सिंचाई योजना.
		कछारी	2.500		
		जुनवानी	2.000		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भनपुरा जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र. 3406-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम; 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त (11 एवं 12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	चंदिया	मगर	68.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	मगर जलाशय सिंचाई योजना.
	-,,-	छतैनी	3.000		
	-,,-	मझौलीखुर्द	6.900		
	-,,-	बुढ़िया	2.800		
	-,,-	जिरौहा	1.600		
	-,,-	हर्रवाह	4.500		
	-,,-	कोठी विरान	2.000		
	-,,-	हर्राडाड	2.000		
	-,,-	मानिकपुर	1.600		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मगर जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 फरवरी 2016

क्र. 2070-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम जुरतरा, प. ह. नं. 16, ब. नं. 211

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—9.41 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.36
245	0.05
226	0.08
250	0.12
251	0.27
258	0.42
252	0.68
228	0.22
230	0.26
18	0.12
19	0.14
265	0.54
17	0.15
15	0.07
14	0.06
(1)	(2)
333/1	0.17
332	0.01
263/1	0.13
263/2	0.15
263/4	0.10
263/3	0.27
329/1	0.07
329/2	0.08
329/3	0.07
329/4	0.07
329/5	0.08
328	0.70
325	0.52
376	0.14
377	0.08
378	0.09
436	0.12
453/2	0.05
435	0.12
433	0.04
327	0.07
278	0.12
323/1	0.13
321/2	0.14
320	0.23
319	0.11
380	0.08
316/1	0.11
316/6	0.07
316/5	0.02
314/4	0.17
314/2	0.17
143	0.05
314/3	0.16
314/1	0.05
311	0.02
262	0.03
264/1	0.17
270	0.08
272	0.24
273	0.23
280	0.12
142	0.03

(1)	(2)
118	0.06
117/1	0.05
117/2	0.10
योग . .	9.41

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248	0.14
173	0.02
259	0.04
261	0.02
331	0.07
326	0.06
375	0.27
260	0.30
379	0.03
313	0.05
145	0.05
144	0.05
289	0.04
267	0.05
योग . .	1.19
कुल योग (अ+ब) . .	10.60

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय, राजस्व, तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2072-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम जुझारपुर, प. ह. नं. 14, ब. नं. 213

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—5.88 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/2	0.02
35/1	0.15
28	0.03
32	0.05
29	0.11
31	0.03
33	0.09
11	0.23
146	0.01
147	0.05
148	0.10
150	0.05
151	0.05
153/1	0.04
157/1	0.32
157/2	0.18
157/3	0.30
169	0.10
168/1	0.01
168/2	0.09
167	0.04
166	0.04
255	0.03
165/1	0.06
165/2	0.03
165/4	0.04

(1)	(2)
190	0.19
191	0.15
196	0.07
198/1	0.09
198/2	0.09
199	0.02
263	0.08
266/2	0.01
265	0.03
264	0.02
262	0.05
261/1	0.02
261/2	0.02
260/1	0.01
260/3	0.01
260/4	0.01
259	0.02
258	0.01
257/1	0.02
257/2	0.01
256/1	0.01
256/2	0.01
254/1	0.02
254/2	0.01
243	0.21
237	0.22
357	0.22
358	0.10
359	0.12
379	0.23
380/1	0.06
380/2	0.06
380/3	0.06
380/4	0.06
422/2	0.38
416	0.06
414	0.18
415/2	0.06
407/1	0.11
407/2	0.16
407/3	0.08
407/4	0.11
406	0.10
403/14	0.05
403/15	0.02
योग . .	5.88

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34	0.05
30	0.03
39	0.05
149	0.02
158	0.01
189	0.02
197	0.17
253	0.02
189	0.02
242	0.02
240	0.22
238	0.08
234	0.03
381	0.03
405	0.04
404	0.01
241/1	0.02
योग . .	0.84
कुल योग (अ+ब) . .	6.72

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय, राजस्व, तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4317-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—सिघोंड़ी, प. ह. नं. 07, ब. नं. 577

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—1.23 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
151	0.98
115	0.09
7/1	0.16
	योग . .1.23

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय, राजस्व, तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4330-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—पिपरीया, प. ह. नं. 08, ब. नं. 337

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—1.24 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
326	0.14
316	0.06
317	0.14
318/1	0.06
318/2	0.08
319/1	0.03
86	0.22
90	0.09
91	0.10
97	0.32
	योग . .1.24

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय, राजस्व, तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4341-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) ग्राम—अमोली, प. ह. नं. 33, लगभग 0.10 हे.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
160/1	0.09
161/2	0.01
कुल योग . .	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—अपर तिलवारा बायी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4344-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) ग्राम—खिरखिरी, प. ह. नं. 33, लगभग 1.60 हे.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
86/2	0.31
85/1	0.34
68/2	0.10
85/2	0.37
84	0.48
कुल योग . .	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—अपर तिलवारा बायी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4346-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—कोनियापार, ब. नं. 81, प. ह. नं. 115 रा.नि.म. सिवनी भाग-1

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.86 हेक्टयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
80/4	0.04
81	0.15
89/4	0.02
89/3	0.21
91	0.06
89/1	0.24
89/2	0.02
94	0.05
95/1	0.07
योग (अ) . .	0.86

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
0	0.00
योग (ब) . .	0.00
कुल योग (अ)+(ब) . .	0.86

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 18-L माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4351-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—मुगंवानी खुर्द, प. ह. नं. 17, ब. नं. 491

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—1.23 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं. (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
127/2	0.02
161/2	0.03
149	0.13
132/3	0.12
132/2	0.15
121/2	0.25
120	0.11
119	0.11
118/1	0.09
118/2	0.07
118/3	0.03
117/1	0.12
योग . .	1.23

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में क्रिया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4355-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—पोतलपानी, प. ह. नं. 04, ब. नं. 354
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—1.19 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/2	0.22
80/1	0.02
98	0.16
99	0.06
97	0.21
122/1	0.11
121	0.05
129	0.15
183/2	0.10
180	0.07
182	0.04
योग . .	1.19

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
78	0.09
79	0.02
177	0.02
178	0.06
84	0.07
योग . .	0.26
कुल योग अ+ब . .	1.45

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4356-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—सुकरी, ब. नं. 583, प. ह. नं. 119 रा.नि.म. सिवनी भाग-1.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
226/7	0.06
219	0.18
214	0.21
215	0.01
212/2	0.07
212/4	0.15
211/1	0.08
211/2	0.18
221/2	0.56
योग (अ) . .	1.50

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
0	0.00
योग (ब) . .	0.00
कुल योग (अ)+(ब) . .	1.50

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 7-L माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के सक्षम प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4361-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—लामटा, प. ह. नं. 04, ब. नं. 525

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—4.65 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं. (1)	प्रस्तावित (रकबा (हेक्टेयर में) (2)
43	0.02
44	0.53
94	0.05
30	0.32
187	0.10
21	0.04
19	0.45
197/1	0.35
197/3	0.09
196/2	0.12
87/1	0.16
87/2	0.16
93/1	0.13
185	0.07
183	0.10
182	0.07
180	0.17
178	0.07
175	0.05
176	0.03
171/1	0.16
171/2	0.15
155/2	0.04
155/3	0.04
155/4	0.02
155/5	0.04
152	0.37
81/1	0.03
81/2	0.04
77	0.09
76	0.24
75	0.30
411	0.05
योग	4.65

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
18	0.10
64	0.04
80	0.15
195	0.06
105	0.03
73	0.06
45	0.02
394	0.07
430	0.15
154	0.06
46/2	0.20
47/2	0.45
398/2	0.19
397/2	0.10
396/2	0.09
395/2	0.26
390/2	0.22
391/2	0.22
389/4	0.15
389/6	0.15
431/2	0.19
435/2	0.24
439/2	0.17
442/2	0.15
योग . .	3.52
कुल योग (अ+ब) . .	8.17

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4362-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—सागर, प. ह. नं. 03, ब. नं. 550

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—9.90 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
371/1	0.08
370/1	0.07
369/1	0.05
368	0.45
359	0.12
358	0.29
357	0.41
356/1	0.11
20	0.23
355/1	0.12
234	0.12
232/2	0.25
231	0.08
230/1	0.19
229/1	0.27
221	0.04
71/1	0.14
380/2	0.08
380/3	0.15
380/1	0.27
381	0.13
387	0.15
386	0.11
394/1	0.07

(1)	(2)
468/1	0.29
73/1	0.26
468/3	0.15
73/3	0.15
468/2	0.05
73/2	0.14
466/5	0.02
466/4	0.01
2/5	0.04
2/7	0.06
2/8	0.12
2/10	0.05
2/6	0.03
6/1	0.20
10/2	0.20
14/2	0.18
13	0.04
15	0.05
23/3	0.32
23/4	0.45
23/2	0.10
23/1	0.11
22	0.07
21	0.08
18	0.23
84	0.35
71/3	0.13
71/2	0.12
70	0.27
112/2	0.15
113	0.04
116/1	0.12
117/2	0.02
116/2	0.03
92/2	0.30
115	0.20
119	0.02
154	0.17
153	0.24
9	0.04
6/2	0.20
42	0.12
योग . .	9.90

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
28	0.03
80	0.05
29	0.03
64	0.02
11	0.20
349	0.03
220	0.03
383	0.03
403	0.03
1	0.22
91	0.10
योग . .	0.77
कुल योग (अ+ब) . .	10.67

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4363-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—लखनवाड़ा, ब.नं.-532, प.ह.नं.-114 रा.नि.म.सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.01 हेक्टर एवं अर्जितक्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
408	0.10
415	0.26
417/2	0.01
402	0.74
398/1	0.19
397/3	0.09
397/1	0.03
397/5	0.10
397/6	0.11
397/2	0.07
439	0.08
440	0.05
353/1	0.18
353/2	0.17
351/1, 351/2, 351/3	0.53
125/1, 125/2	0.06
119/4	0.12
127	0.08
128	0.07
129	0.16
130	0.19
135	0.14
215	0.02
207	0.18
205	0.02
206	0.08
204/4	0.12
204/2	0.03
204/3	0.03
204/1	0.14
203/2	0.06
214	0.13
171	0.01
202/2	0.05
172	0.12
(1)	(2)
168	0.28
योग (अ) . .	4.80

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
357	0.03
356	0.03
120	0.04
91	0.03
162	0.08
योग (ब). .	0.21
योग (अ+ब) . .	5.01

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 18-L,एवं 19 माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट **www.seoni.nic.in** एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट **http://www.mprevenue.nic.in** पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के सक्षम प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4366-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—बम्होड़ी, ब.नं.-397, प.ह.नं.-115, रा.नि.म.सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.31 हेक्टर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
436/1	0.04
459	0.10
442	0.01
443	0.03
458/1	0.09
446	0.01
448/1	0.23
378	0.19
381	0.17
384	0.08
383/1	0.01
389	0.20
391	0.08
392/2	0.09
393/2	0.01
394	0.08
297	0.07
298	0.07
299	0.01
144	0.04
(1)	(2)
148	0.26
62	0.12
63	0.07
64/2	0.19
75	0.06
73/3	0.04
73/2	0.11
82	0.14
61/2	0.06
61/1	0.13
60	0.03
65	0.24
69	0.13
52	0.02
योग (अ) . .	3.21

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
420	0.02
395/1	0.02
149	0.04
136	0.01
53	0.01
योग (ब) . .	0.10
योग (अ+ब) . .	3.31

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 25-L 26-L माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट **www.seoni.nic.in** एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट **http://www.mprevenue.nic.in** पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के सक्षम प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4374-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—बकोडी, प.ह.नं.-22, ब.नं.-390

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—0.12 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.08
12/2	0.04
योग . .	0.12

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.03
योग . .	0.03
योग (अ+ब) . .	0.15

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि-अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 3 मई 2016

क्र. 4715-भू. अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—जमुनिया प.ह.नं.-14, ब.नं.-198

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—7.36 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
481	0.18
480	0.20
332/2	0.01
331	0.26
296/1	0.17
296/2	0.15
285/1	0.14
285/2	0.18

(1)	(2)
285/3	0.18
285/4	0.18
61	0.02
69	0.15
68/2-3	0.15
32	0.10
68/1	0.15
33	0.13
124/8	0.04
19	0.10
22	0.12
21	0.19
5/2	0.07
119/3	0.10
295	0.28
287/1	0.06
287/2	0.12
287/3	0.12
287/4	0.12
282/1	0.11
282/2	0.10
279/1	0.30
279/2	0.15
261/1	0.12
261/2	0.08
243/3	0.14
228/1	0.05
567/2	0.13
519/2	0.19
524	0.03
514/1	0.36
525	0.30
523	0.24
520/1	0.02
520/2	0.10
520/3	0.04
520/4	0.03
518/1	0.09
518/2	0.09
557/1	0.03
557/2	0.38
568	0.53
573	0.03
591/3	0.05
योग . .	7.36

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
479	0.04
478	0.01
477	0.02
71	0.08
72	0.01
267	0.08
70	0.03
245	0.01
31	0.15
281	0.07
286	0.02
263	0.03
512	0.02
558	0.06
587	0.03
योग . .	0.66
कुल योग (अ+ब) . .	8.02

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि-अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 2 मई 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—उटीला
(घ) क्षेत्रफल—1.113 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1578	0.030
1579	0.020
1580	0.100
1581	0.050
1588	0.040
1589	0.010
1590	0.063
1592/1	0.290
1584/1	0.440
1546/2	0.070
योग . .	1.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 30 मई 2016

प्र. क्र. 6588-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—छड़ावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.837 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
190	1.547
196	0.752
194/1	1.829
285/1	0.100
334/1	1.000
217/1	1.521
218/1	0.441
221/1	0.154
219/1	1.595
201/1/2/ख	1.500
201/1/1/क	0.252
201/1/3ग	0.933
255/1/1	0.012
215	0.201
योग . .	11.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—"थाना तालाब योजना के निर्माण कार्य हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 1 जून 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (2) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)

(खं) तहसील—छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम—गहरवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.606 हेक्टर.

भूमि का खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
3598	0.004
3599	0.240
3595	0.200
3600	0.025
3601/1	0.215
3601/2	0.215
3605	0.153
3557	0.505
3558	0.040
3556	0.280
3555	0.170
3559	0.080
3553	0.380
3552	0.170
3551	0.090
578	0.155
571/2	0.090
572	0.180
566	0.225
565	0.020
562	0.280
502	0.185
503	0.195
414/1	0.115
414/2	0.105
392	0.030
393/1	0.005
393/2	0.005
394/2	0.140
394/3	0.020
391/1	0.325
384/1/2	0.305
395/1/2	0.015
383	0.170
346	0.150
347	0.185
362	0.210
363	0.035
360	0.450
361	0.010
359	0.185
354	0.330
235	0.165
234	0.190
230	0.225
231	0.205
227	0.020
890	0.210
894	0.250
895	0.130
896/1	0.140
896/2	0.070
901	0.160
902	0.010
1668	0.020
1669	0.105
1667	0.142
1666	0.100
1673	0.095
1674	0.030
1662	0.012
1660	0.155
1659	0.014
1658	0.120
1657	0.020
1643	0.080
1644	0.025
1642	0.085
1641	0.035
1623	0.105
1622	0.100
1621	0.110
1606	0.160
1601	0.002
1600	0.040

(1)	(2)
1599	0.075
1602	0.115
1568	0.010
1569	0.020
1570	0.075
1555	0.115
1554	0.002
1553	0.005
1552	0.080
1551	0.025
1542	0.025
1543	0.028
1544	0.065
1545	0.020
1532	0.075
1531/1	0.005
2001	0.065
2002	0.045
1999	0.006
2014	0.025
2016	0.075
2015	0.055
2025	0.085
2027	0.085
2011	0.012
2047	0.095
2048	0.025
2049	0.050
2050	0.305
2053	0.020
2052	0.085
1977	0.050
1963	0.002
1962	0.002
1965	0.040
1964	0.050
1961	0.020
1960	0.005
1958	0.040
1957	0.015
1955	0.030
1954	0.015
1956	0.035
1947	0.070
1946	0.002
1948	0.100
1943	0.050
1949	0.050
502	0.240
410	0.320
399	0.110
406	0.235
405	0.115
418	0.345
419	0.170
433	0.050
438	0.265
437	0.145
440	0.020
500	0.015
1670	0.010
योग . .	14.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 4 जून 2016

ज्ञाप पत्र क्र. 1285-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—पनागर

(ग) ग्राम—पिपरिया (प.ह.नं. 42)

(घ) रा.नि.मण्डल—महाराजपुर

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—2.429 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.651
14/2	0.015
14/3	0.014
17/1	0.223
35/1	0.407
35/5	0.079
29/1, 61/1	0.423
29/24	0.248
29/33	0.012
35/2	0.155
35/4	0.051
40/1	0.054
40/4	0.024
40/5	0.054
40/6	0.012
17/2	0.006
14/7	0.001
कुल योग . .	2.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बोरलाग इन्स्टीटयूट लखनवारा मार्ग सोनपुर सुन्दरपुर मार्ग उन्नयन एवं निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अत: धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर, के कार्यालय में या कार्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 1 जबलपुर में किया जा सकता है.

ज्ञाप पत्र क्र. 1286-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—पनागर

(ग) ग्राम—सोनपुर (प.ह.नं. 42/14)

(घ) रा.नि.मण्डल—महाराजपुर

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—0.030 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.010
28	0.020
कुल योग . .	0.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बोरलाग इन्स्टीटयूट लखनवारा मार्ग सोनपुर सुन्दरपुर मार्ग उन्नयन एवं निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अत: धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर, के कार्यालय में या कार्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 1 जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 जून 2016

क्र. B-2731-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 2 से 4 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-2733-दो-2-27-2014.—श्री पंकज गौड़, रजिस्ट्रार (J-I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 मई 2016 से 10 जून 2016 तक, ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक -3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. C-2162-दो-2-56-2010.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 18 अप्रैल 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 अप्रैल 2016 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2166-दो-2-30-2014.—श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 25 से 29 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2168-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 20 से 30 अप्रैल 2016 तक ग्यारह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 28 से 30 अप्रैल 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B-2736-दो-2-6-2012.—श्री बी. बी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 30 मई 2016 से 5 जून 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. बी. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्र. 582-गोपनीय-2016-दो-2-36-61.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण का प्रमाण-पत्र धारित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लेखित दिनांक से उनकी नियुक्ति पर स्थायी करता है:—

क्र.	नाम	स्थायीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का दिनांक	स्थायी किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे	24-5-2011	24-5-2011
2	श्रीमती अनुराधा शुक्ला	24-5-2011	24-5-2011
3	श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर.	24-5-2011	24-5-2011
4	श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया	24-5-2011	24-5-2011
5	श्री अमनीस कुमार वर्मा	24-5-2011	24-5-2011
6	श्री प्रेम नारायण सिंह	24-5-2011	24-5-2011
7	श्री अचल कुमार पालीवाल	24-5-2011	24-5-2011
8	स्व. श्रीमती ऊषा श्रोत्रिय	24-5-2011	24-5-2011
9	श्री श्यामाचरण उपाध्याय	24-5-2011	24-5-2011
10	श्री हृदेश	24-5-2011	24-5-2011
11	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह	24-5-2011	24-5-2011
12	श्री गोपाल श्रीवास्तव	24-5-2011	24-5-2011
13	श्री. अखिलेश जोशी	24-5-2011	24-5-2011
14	श्री प्रेम कुमार सिन्हा	24-5-2011	24-5-2011
15	श्री गुणवंत सिंह सलूजा	24-5-2011	24-5-2011
16	श्री अरूण कुमार सिंह (सीनियर).	24-5-2011	24-5-2011
17	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	24-5-2011	24-5-2011
18	श्रीमती गिरिबाला सिंह	24-5-2011	24-5-2011
19	श्री राम कुमार चौबे	24-5-2011	24-5-2011
20	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी	24-5-2011	24-5-2011
21	श्री राम लाल यादव	24-5-2011	24-5-2011
22	श्री रूचिर शर्मा	24-5-2011	24-5-2011
23	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी	16-1-2012	16-1-2012
24	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	16-1-2012	16-1-2012
25	श्री योगेश कुमार गुप्ता	16-1-2012	16-1-2012
26	श्रीमती आशा गोधा	16-1-2012	16-1-2012
27	श्री अनिल कुमार भाटिया	16-1-2012	16-1-2012
28	डॉ. विजय कुमार अग्रवाल	16-1-2012	16-1-2012
29	श्री योगेश चन्द्र गुप्त	16-1-2012	16-1-2012
30	श्रीमती इन्द्रा सिंह	16-1-2012	16-1-2012
31	श्री विनोद कुमार दुबे (जूनियर).	16-1-2012	16-1-2012
32	श्री नवीन कुमार सक्सेना	16-1-2012	16-1-2012
33	श्री राजेश कुमार गुप्ता	16-1-2012	16-1-2012
34	श्री विजय कुमार पाण्डेय (सीनियर).	16-1-2012	16-1-2012
35	श्री अफसर जावेद खान	16-1-2012	16-1-2012
36	श्री प्रताप कुमार तिवारी	16-1-2012	16-1-2012
37	श्री विनोद कुमार	16-1-2012	16-1-2012
38	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	16-1-2012	16-1-2012
39	श्री कृष्ण कांत शर्मा	16-1-2012	16-1-2012
40	श्री सुरेश रणदिवे	16-1-2012	1-2-2012
41	श्री गजेन्द्र सिंह	16-1-2012	1-2-2012
42	श्रीमती सुरभि मिश्रा	16-1-2012	1-2-2012
43	श्री अरूण कुमार वर्मा.	16-1-2012	1-3-2012
44	श्री पवन कुमार शर्मा	16-1-2012	1-3-2012
45	श्री अजय प्रकाश मिश्र	16-1-2012	1-4-2012
46	श्री उमेश कुमार गुप्ता	16-1-2012	1-4-2012
47	श्री पंकज गौड़	16-1-2012	1-5-2012
48	स्व. श्री अशोक कुमार गोयनार.	16-1-2012	19-5-2012
49	श्री ओंकार नाथ	16-1-2012	1-6-2012
50	श्री आलोक अवस्थी	16-1-2012	1-6-2012
51	श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत	16-1-2012	1-6-2012
52	श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन	16-1-2012	1-6-2012
53	श्री भगवती प्रसाद शर्मा	16-1-2012	1-7-2012
54	श्री प्रदीप मित्तल	16-1-2012	1-7-2012
55	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (सीनियर).	16-1-2012	1-7-2012
56	श्री सनत कुमार कश्यप	16-1-2012	26-9-2012
57	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	16-1-2012	26-9-2012

(1)	(2)	(3)	(4)
58	श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा	16-1-2012	26-9-2012
59	श्री दिलीप कुमार नागले	16-1-2012	26-9-2012
60	श्री दीपक गुप्ता	16-1-2012	26-9-2012
61	श्री अजीत सिंह	16-1-2012	26-9-2012
62	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	16-1-2012	26-9-2012
63	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत	16-1-2012	26-9-2012
64	श्री प्राणेश कुमार प्राण	16-1-2012	26-9-2012
65	श्रीमती रश्मि अग्रवाल	16-1-2012	26-9-2012
66	श्री नवनीत कुमार गोधा	16-1-2012	26-9-2012
67	श्री सभापति यादव	16-1-2012	26-9-2012
68	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर).	16-1-2012	26-9-2012
69	श्रीमती सविता दुबे	16-1-2012	26-9-2012
70	श्री हरि शरण यादव	16-1-2012	26-9-2012
71	डॉ. ओम प्रकाश तिवारी	16-1-2012	26-9-2012
72	श्री महेश चन्द्र सोनी	16-1-2012	26-9-2012
73	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	16-1-2012	26-9-2012
74	श्री श्याम बिहारी वर्मा	16-1-2012	26-9-2012
75	श्री रमा शंकर शर्मा	16-1-2012	15-12-2012
76	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर).	16-1-2012	1-1-2013
77	श्री योगेश दत्त (शुक्ला)	16-1-2012	1-1-2013
78	श्री महेश कुमार शर्मा	16-1-2012	1-2-2013
79	श्री भरत सिंह जमरा	16-1-2012	1-2-2013
80	श्री अजय कुमार गर्ग	16-1-2012	28-2-2013
81	श्री शिव चरण पाण्डेय	16-1-2012	28-2-2013
82	श्री राकेश श्रोत्रिय	16-1-2012	28-2-2013
83	श्री अनिल कुमार गुप्ता	16-1-2012	28-2-2013
84	श्री अमिताभ मिश्रा	16-1-2012	28-2-2013
85	श्री ज्ञान प्रकश अग्रवाल	16-1-2012	28-2-2013
86	श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर	16-1-2012	28-2-2013
87	श्री यशवंत सिंह परमार	16-1-2012	28-2-2013
88	श्री जोसेफ माईकल राव	16-1-2012	28-2-2013
89	श्री राजेन्द्र प्रसाद मनकेलिया	16-1-2012	28-2-2013
90	श्री जशरथ राज बच्चन	16-1-2012	28-2-2013
91	श्री विजय मालवीया	16-1-2012	28-2-2013
92	श्री देवराज बोहरे	16-1-2012	28-2-2013
93	श्री संजय कुमार जैन (सीनियर).	16-1-2012	28-2-2013
94	श्री राजीव कुमार सिंह	16-1-2012	28-2-2013
95	श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी	16-1-2012	28-2-2013
96	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त	20-6-2013	20-6-2013
97	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	20-6-2013	20-6-2013
98	श्री देव नारायण मिश्रा	20-6-2013	20-6-2013
99	श्री सुबोध कुमार जैन	20-6-2013	20-6-2013
100	श्रीमती रेणुका कंचन	20-6-2013	20-6-2013
101	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी	20-6-2013	20-6-2013
102	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	20-6-2013	20-6-2013
103	श्री ब्रम्हा शंकर दीक्षित	20-6-2013	20-6-2013
104	श्री रामानन्द चन्द	20-6-2013	20-6-2013
105	श्री आनंद कुमार तिवारी	20-6-2013	20-6-2013
106	श्री सुशांत हुद्दार	20-6-2013	20-6-2013
107	श्री धरमिंदर सिंह	20-6-2013	20-6-2013
108	श्री उमेश पाण्डव	20-6-2013	20-6-2013
109	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	20-6-2013	20-6-2013
110	श्री ललित किशोर	20-6-2013	20-6-2013
111	श्री अनीष कुमार मिश्रा	20-6-2013	20-6-2013
112	श्रीमती ममता जैन	20-6-2013	20-6-2013
113	श्रीमती आशिता श्रीवास्तव	20-6-2013	20-6-2013
114	श्री राजाराम भारतीय	20-6-2013	20-6-2013
115	श्री दीपेश कुमार तिवारी	20-6-2013	20-6-2013
116	श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल	20-6-2013	20-6-2013
117	कुमारी नीना आशापुरे	1-9-2014	1-9-2014
118	श्री राजवर्धन गुप्ता	10-12-2014	10-12-2014
119	श्री अतुल्य सराफ	10-12-2014	10-12-2014
120	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	10-12-2014	10-12-2014
121	श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया	10-12-2014	10-12-2014
122	कुमारी भावना साधो	10-12-2014	10-12-2014
123	श्री रमेश मावी	10-12-2014	10-12-2014
124	श्री काशिफ नदीम (खान)	10-12-2014	10-12-2014
125	श्री अनिल कुमार सोहाने	10-12-2014	10-12-2014
126	कुमारी किरण गोहर	10-12-2014	10-12-2014
127	श्री रवीन्दर सिंह	10-12-2014	10-12-2014
128	श्री राम प्रकाश मिश्रा	10-12-2014	10-12-2014

(1)	(2)	(3)	(4)
129	कुमारी अनीता बाजपेयी	10-12-2014	10-12-2014
130	श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर).	10-12-2014	10-12-2014
131	श्री संजय कृष्ण जोशी	10-12-2014	10-12-2014
132	श्री शशि भूषण पाठक	10-12-2014	10-12-2014
133	श्री राजीव कुमार करमहे	10-12-2014	10-12-2014
134	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	10-12-2014	10-12-2014
135	श्री अजय श्रीवास्तव	10-12-2014	10-12-2014
136	श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी.	10-12-2014	10-12-2014
137	श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र	10-12-2014	10-12-2014
138	कुमारी साधना माहेश्वरी	10-12-2014	10-12-2014
139	श्री अवधेश कुमार सिंह	10-12-2014	10-12-2014
140	श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जूनियर).	10-12-2014	10-12-2014
141	श्री राजीव आप्टे	10-12-2014	10-12-2014
142	श्रीमती अलका दुबे	10-12-2014	10-12-2014
143	श्री संजीव कुमार पाण्डेय	10-12-2014	10-12-2014
144	श्री महेन्द्र कुमार जैन	10-12-2014	10-12-2014
145	श्री राकेश मोहन प्रधान	10-12-2014	10-12-2014
146	श्री वाचस्पति मिश्र	10-12-2014	10-12-2014
147	श्री रामप्रताप सिंह	10-12-2014	10-12-2014
148	श्री देव नारायण (शुक्ला)	10-12-2014	10-12-2014
149	श्री लखन लाल गर्ग	10-12-2014	10-12-2014
150	श्रीमती तृप्ति शर्मा	10-12-2014	10-12-2014
151	श्री जाकिर हुसैन	10-12-2014	10-12-2014
152	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर).	10-12-2014	10-12-2014
153	श्री संजीव कुमार अग्रवाल	10-12-2014	10-12-2014
154	श्रीमती विधि सक्सेना	10-12-2014	10-12-2014
155	श्री कपिल कुमार मेहता	10-12-2014	10-12-2014
156	श्री मोहन पी. तिवारी	10-12-2014	10-12-2014
157	श्री राकेश कुमार (गुप्ता)	10-12-2014	10-12-2014
158	श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह	10-12-2014	10-12-2014
159	श्री राजीव कुमार अयाची	10-12-2014	10-12-2014
160	श्री जयप्रकाश सिंह	10-12-2014	10-12-2014
161	श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर).	10-12-2014	10-12-2014
162	श्री मधुसूदन मिश्रा	10-12-2014	10-12-2014
163	श्री सुरेश सिंह	10-12-2014	10-12-2014
164	श्री पदम चन्द्र गुप्ता	7-10-2015	7-10-2015
165	श्री एम. एस. ए. अंसारी	1-3-2016	1-3-2016

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 मई 2016

क्र. 571-गोपनीय-2016-दो-3-38-2016.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, **कुमारी ज्योति राजपूत,** व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 देवसर जिला सिंगरौली का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन **''श्रीमती ज्योति राजपूत''** पत्नी श्री अनिल धाकड़ करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तन नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 जून 2016

क्र. B 2744-दो-2-45-2015.—श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 29 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 30 मई 2016 से 10 जून 2016 तक के पूर्व के अनुक्रम में स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (परीक्षा) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.